हरियाणा के किसानों से सम्बंधित योजनाएं

हरियाणा किसान आयोग

मुख्यालय, अनाज मण्डी, सैक्टर – 20, पंचकुला – 134116

शिविर कार्यालय, किसान भवन, खांडसा मण्डी,

गुडगाँव – 122001

दूरभाष पंचकुला कार्यालय :
फोनः +91 – 172 – 2551664, 2551764
फैक्सः +91 – 172 – 2551864

दूरभाष गुड़गांव शिविर कार्यालय :
फोनः +91 – 124 – 23 00784

वेबसाइट : www.haryanakisanayog.org

हरियाणा के किसानों से सम्बंधित योजनाएं

हरियाणा किसान आयोग

मुख्यालय, अनाज मण्डी, सैक्टर 20, पंचकुला – 134116

शिविर कार्यालय, किसान भवन, खांडसा मण्डी,

गुडगाँव – 122001

प्रकाशक
हरियाणा किसान आयोग,
अनाज मण्डी, सैक्टर 20, पंचकुला - 134116

संपर्क सूत्र :
फोन +91-172-2551664, 2551764
फैक्स +91-172-2551864

प्रकाशन : अक्टूबर, 2011
द्वितीय संस्करण : फरवरी, 2012
तृतीय संस्करण : नवम्बर, 2012
चतूर्थ संस्करण : अगस्त, 2014

इस पुस्तक में विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त सूचना का संकलन किसा गया है। दी गई जानकारी की पुष्टी संबंधित विभाग से अवश्य कर लें। हालांकि मेहनती प्रयास कर स्टीक जानकारी प्रदान की गई है, फिर भी त्रुटि या चूक के लिए प्रकाशक जिम्मेवार नहीं है। इस पुस्तक में निहित जानकारी के आधार पर दावा अमान्य है।

प्राक्कथन

हरियाणा सरकार ने 15 जुलाई 2010 को हरियाणा किसान अयोग का गठन किया जिसका उदेश्य किसानों की समस्याओं का अध्ययन तथा अनके समाधान के लिए उचित उपाय सुझाना है। तद्नुसार, आयोग निवेश उपयोग में प्रभावी सुधार करके तथा बीजों, उर्वरकों और अन्य फार्म रसायनों की सामयिक उपलब्धता बढ़ाकर कृषि प्रणालियों की उत्पादकता, लाभदायकता और उनका टिकाऊपन बढ़ाने के लिए विशिष्ट कदम उठा कर वांछित कार्य कर रहा है। इसके साथ ही उपज अंतराल को कम करने, फार्म जिंसों की गुणतत्ता और लागत को विश्रवस्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने, कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराने और शिक्षित युवाओं को कृषि की ओर आकर्षित करने/खेती में बनाए रखने की भी आवश्यकता है।

हरियाणा सरकार तथा भारत सरकार की ऐसी अनेक योजनाएं है जो किसानों को उनका उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने, विशेषकर अनाज फसलों, सब्जियों, फलों, दूध, अंडों, मछलियों, ऊन और फूलों का उत्पादन, उत्पादकता व लाभदायकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। यह सहायता/अनुदान विशिष्ट योजनाओं जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, तिलहनों, दालों, तेलताड़ और मक्का पर समेकित योजना, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी, गन्ना के लिए प्रौद्योगिकी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन तथा समेकित मुर्रा भैंस विकास आदि के अंतर्गत उपलब्ध हैं। कुछ मामलों में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार की वर्तमान योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराती है अथवा राज्य की आवश्यकता के अनुसार उसकी अपनी योजनाएं भी हैं जो क्षेत्रों ओर जिलों में भिन्न-भिन्न होती हैं। आयोग ने ऐसी सभी योजनाओं पर प्रासंगिक सूचना संकलित करने का प्रयास किया है जो हरियाणा में चल रही हैं। इसे एक पुस्तिका का स्वरूप दिया जा रहा है ताकि किसान सभी योजनाओं के संबंध में एक ही स्थान पर समस्त वांछित् जानकारी प्राप्त कर सकें।

मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका किसानों के लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध होगी और इससे वे वर्तमान योजनाओं का पूरा-पूरा लाभ उठा सकेंगे जिसके अंतर्गत वे सहायता, अनुदान, ऋण, फसलों और पशुधन के लिए बीमे की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

मैं आयोग के स्टाफ, विशेषकर डॉ. आर.एस.दलाल, सदस्य-सचिव, डॉ के. एन.राय. परामर्शक, डॉ. गजेन्द्र सिंह अनुसंधान अध्येता और श्री प्रदीप कुमार, कम्पयूटर प्रोग्रामर का इस पुस्तिका के संकलन, संपादन व डिजाइन तैयार करने में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता हूं।

राजेन्द्र परोदा

आर.एस.परोदा
अध्यक्ष, हरियाणा किसान आयोग

विषय – सूची

प्राक्कथन	
कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	1
बागवानी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	23
पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	77
मात्स्यकी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं	85
हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं	90
हरियाणा डेयरी विकास को-ऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड की योजनाएं	92
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं	94
हरियाणा राज्य भंडारागार निगम की योजनाएं	100
कृषि विपणन बोर्ड की योजनाएं	103
नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरियाणा की योजनाएं	105
हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड	108
(हैफेड) की योजनाएं	
अक्षय ऊर्जा विभाग की योजनाएं	111

1. कृषि विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

कृषि विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं प्रायोजित की गई हैं जिन्हें राज्य के कृषि विभाग द्वारा किसानों के हित में कार्यान्वित किया जा रहा है। ये योजनाएं निम्नलिखित हैं :

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – गेहूं और दलहन

इस मिशन का मुख्य उदेश्य राज्य के पहचाने गए जिलों में गेहूं और दलहनों की टिकाऊ रूप से उत्पादकता बढ़ाने के लिए इन फसलों का क्षेत्र तथा उत्पादन बढ़ाना है। प्रदेश के सात जिले नामत: अम्बाला, यमुनानगर, भिवानी, महेन्द्रगढ़, गुड़गांव, रोहतक और झज्जर गेहूं मिशन के अंतर्गत लिए गए हैं। वर्ष 2012 – 2013 से राज्य के सभी जिलों को दलहनों के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत लाया गया है। इस योजना के अंतर्गत निम्न सहायता उपलबध कराई जाती है :

1.1 प्रमाणित बीज का वितरण

धान, गेहूँ, दलहन और तिलहनो के प्रमाणित बीज के वितरण पर लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति किंव्टल क्रमश : 500 रूपये, 500 रूपये, 2200 रूपये और 1200 रूपये तक सीमित है, किसानों को सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है।

1.2 प्रदर्शन

धान, गेहूं और दलहनों की खेती की उन्नत विधियों पर किसानों के खेतों में प्रदर्शन आयोजित किए जाते है जिसके लिए उन्हें प्रति हेक्टेयर 7500 ओर 12500 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रदर्शनों में बीज, उर्वरक तथा पौधों की सुरक्षा में प्रयुक्त होने वाले रसायन किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

1.3 बीज

अधिक उपज वाली फसलों का बीज 1000 रुपये प्रति किवंटल गेहूं में और दलहनों में 2000 रुपये प्रति किवंटल, मोटे आनाज के लिए 1500 रुपये प्रति किवंटल तथा संकर किस्म के बीजों के लिए 2500 रुपये प्रति किवंटल के अनुदान का प्रावधान है।

1.4 सूक्ष्म पोषक तत्व

फसलों की उत्पादकता को प्रभावित करने वाले पोषक तत्वों, विशेष रूप से जिंक सल्फेट की कमी हरियाणा के विभिन्न भागों में रिपोर्ट की गई है। इसलिए किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 50 प्रतिशत की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो प्रति हैक्टयर – 500 रूपये तक सीमित है।

1.5 जिप्सस

राज्य के विभिन्न भागों में गंधक की कमी रिपोर्ट की गई है। जिप्सम गंधक का सबसे सस्ता स्त्रोत है जो पौधे के लिए एक अनिवार्य तत्व है। अत: सामग्री की लागत तथा परिवहन की लागत का 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में दिया जाता है जो प्रति हैक्टर 750 रूपये दलहन तथा 750 रूपये गेहूँ तक सीमित है। जिप्सम की व्यवस्था व इसका वितरण हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम द्वारा किया जात है।

1.6 फार्म मशीनरी

कृषि कार्यो की दक्षता बढ़ाने और खेती की लागत कम करने के लिए किसानों को फार्म मशीनरी के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस मिशन के अंतर्गत जीरो टिल सीड ड्रिल, बहुफसल रोपाई यंत्र तथा बीज इस ड्रिल के लिए लागत का 50 प्रतिशत सहायता के रूप में उपलब्ध कराया जाता है जो 15,000 रूपये तक सीमित है। साथ ही, रोटावेटर पर लागत का 50 प्रतिशत

अनुदान दिया जाता है जो प्रति मशीन 35,000 रूपये तक सीमित है। इसी प्रकार, 10 किसानों के समूह को लेज़र भूमि समतलन यंत्र के लिए लागत के 50 प्रतिशत राशि की सहायता दी जाती है जो 1,50,000 रूपये तक सीमित है।

1.7 नैप सैक छिड़काव यंत्र

गेहूं और दलहनी फसलों में नाशक जीवों और रोगों के समय पर और बेहतर प्रबंधन के लिए किसानों को नैप सैक छिड़काव यंत्र के लिए लागत की 50 प्रतिशत या 3000 रूपये, इनमें से जो भी कम हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

1.8 फसल तंत्र आधारित प्रशिक्षण

किसानों के खेतों में फसलों के विभिन्न नाशीजीवों तथा रोगों की पहचान व उनके प्राकोप होने पर उनके प्रबंध संबंधी कार्यों के संबंध में व्यवहारिक जानकारी देने के लिए किसान खेत विद्यालय आयोजित किए जाते हैं। यह एक प्रकार का प्रयोगात्मक परीक्षण है। इनके आयोजन के लिए किसानों को प्रति खेत विद्यालय 14,000 रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

1.9 जैव उर्वरक

राइज़ोबियम तथा फास्फेट को घुलनशील बनाने वाले जीवणु (पी.एस.बी) जैसे जैव उर्वरक दलहनी फसलों द्वारा वातावरण में मौजूद नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर और फासफोरस को मृदा में उपलब्ध करने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसमें सुविधा प्रदान करने के लिए लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता से जैव उर्वरक आपूर्त किए जाते हैं और यह राशि प्रति हैक्टर 100 रूपये तक सीमित है।

1.10 पादप सुरक्षा संबंधी रसायन

यदि जैव नियंत्रण संबंधी उपाय विभिन्न कीटों और रोगों के प्रभावी नियंत्रण में

परिणामदायक सिद्ध नहीं होते हैं तो हानिकारक जीवनाशी तथा फफूंदी नाशक रसायनों का उपयोग आवश्यक हो जाता है। इन नाशकजीवों के समय पर नियंत्रण के लिए दलहन की खेती करने वाले किसानों को लागत का 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर पादप सुरक्षा संबंधी रसायन उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि 500 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.11 खरपतवारनाशी

खरपतवार जल,पोषक तत्वों, धूप आदि के लिए फसल के पौधों से प्रतिस्पर्धा करते हैं अत: खरपतवारों के संक्रमण से फसल पौधों की जल व पोषक तत्व ग्रहण करने की क्षमता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। खरपतवारों के समय पर व बेहतर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए दलहन की खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर खरपतवारनाशी उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि 500 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.12स्प्रिंकलर सैट

दलहनी फसलों को जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए किसानों को लागत को 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर स्प्रिंकलर सैंट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि 10,000 रुपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

1.13 जल वहन पाइप

स्त्रोत से वांछित स्थान तक जल ले जाने के लिए पाइपों पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है जो दलहनों की खेती करने वाले किसानों को लागत की 50 प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराई जाती है। यह प्रति किसान 15,000 रूपये तक सीमित है।

1.14 टपका प्रणाली पर सहायता

राष्ट्रीय लघु सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत 2010-11 और 2011-12 में

टपका सिंचाई कपास तथा गन्ने के फसल पर पायलट आधार पर प्रारम्भ की गई। इसमें 90 प्रतिशत तक कि वित्तिय सहायता दी जाती है। इस कार्यक्रम की व्यापक मांग को देखते हुए 2012 – 13 मे 40 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत का अनुदान क्रमश: राष्ट्रीय योजना तथा आर.के.वी.वाई. के अन्तर्गत की गई है।

1.15 भूमि समतलन पर अनुदान (राज्य योजना)

विशेष रूप से जलग्रहण कमान क्षेत्र में बड़े क्षेत्र असमतल है जिन्हें समतल, आकार देने और ग्रेडिंग की आवश्यकता पड़ी है। भूमि के समतलीकरण के द्वारा और अधिक क्षेत्र खेती के तहत लाया जा सकता है और खेती प्रक्रिया आसान हो जाती है। पानी, उर्वरक और कीटनाशकों के समुचित वितरण सुनिश्चित हो जाता है। खेती की लागत कम और फसलों की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है। 3 हैक्टेयर भूमि पर 50 प्रतिशत और 3 से अधिक हैक्टेयर भूमि जोत होने पर 25 प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। जिसकी अधिकतम सीमा 20,000 रूपये अम्बाला, यमुनानगर और पंचकुला जिलों के लिये है। जबकि अन्य जिलों के लिये 15,000 रूपये प्रति किसान है।

1.16 वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के लिये अनुसूचित जातियों तथा कृषि और गैर कृषि श्रम सहित किसानों के लिए परियोजना

इसके अन्तर्गत कुल लागत का 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है।

टिप्पणी :

कृषि विभाग ने 100 प्रतिशत गेहूँ बीच के उपचार का प्रस्ताव रखा है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गेहूं उत्पादन के लिए सहायता का संक्षिप्त विवरण

घटक	सहायता का प्रकार
प्रदर्शन	7500 रुपये प्रति हैक्टयर एक फसल के लिए तथा दोनों फसलों के लिए 12,500 रुपये
प्रमाणित बीज का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति किवंटल 500 रूपये तक सीमित है
बीज	संकर बीजों के लिए 1000 रुपये प्रति किवंटल
सूक्ष्म पोषक तत्व	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति किवंटल 500 रूपये तक सीमित है
जिप्सम	सामग्री व परिवहन लागत का 60 प्रतिशत जो प्रति हैक्टर 750 रूपये तक सीमित है।
जीरो टिल सीड ड्रिल	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रूपये तक सीमित है
बहु-फसल रोपाई यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रूपये तक सीमित है
नैप सैक छिड़काव यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत या 3000 रूपये, इनमें से जो भी कम हो
किसान खेत विद्यालय	14,000 रूपये प्रति किसान खेत विद्यालय

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत दलहनों के उत्पादन के लिए सहायता का संक्षिप्त विवरण

घटक	सहायता का प्रकार
प्रजनन बीज की खरीद	पूरी लागत
आधार बीच का उत्पादन	1000 रूपये प्रति किंव्टल
प्रमाणित बीज का उत्पादन	1000 रूपये प्रति किव्टल

प्रमाणित बीज का वितरण	लागत का 50 प्रतिशत जो 1200 रूपये प्रति किव्ंटल तक सीमित है
जिप्सम	सामग्री व परिवहन लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति हैक्टर 750 रूपये तक सीमित है। जिप्सम तथा पोषक तत्वों पर कुल सहायता की राशि प्रति हैक्टर 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
सूक्ष्म् पोषण तत्व	लागत का 50 प्रतिशत जो 500 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है
समेकित नाशकजीव प्रबंध	लागत का 50 प्रतिशत जो 750 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है
स्प्रिंकलर सैट	लागत का 50 प्रतिशत जो 7500 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है
किसान खेत विद्यालय	17,000 रूपये प्रति किसान खेत विद्यालय
जीरो टिल सीड ड्रिल	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रूपये तक सीमित है
बहु-फसल रोपाई यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 15,000 रूपये तक सीमित है
रोटावेटर	लागत का 50 प्रतिशत जो प्रति मशीन 35,000 रूपये तक सीमित है
लेज़र भूमि समतलन यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत जो किसानों के प्रति समूह के लिए 1,50,000 रूपये तक सीमित है
नैप सैक छिड़काव यंत्र	लागत का 50 प्रतिशत या 450 रूपये, इनमें से जो भी कम हो
जैव-उर्वरक	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 100 रूपये
पादप सुरक्षा संबंधी रसायन	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 500 रूपये
खरपतवारनाशी	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 500 रूपये
जल वाहन पाइप	लागत का 50 प्रतिशत या प्रति हैक्टर 15,000 रूपये

2. तिलहनों, दलहनों, ताड़तेल तथा मक्का पर समेकित योजना (आइसोपोम)

2.1 प्रमाणित बीज का वितरण

हरियाणा बीज विकास निगम तथा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार सहित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की एजेंसियां किसानों को सरसों, तोरिया, तिल, मूंगफली एवं सूरजमुखी के प्रमाणित बीज की आपूर्ति करती हैं जिसके लिए बीज की लागत का 30 प्रतिशत किसानों को अनुदान के रूप में दिया जाता है। यह राशि प्रति किव्ंटल 1200 रूपये तक सीमित है। बीज आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि वे किसानों को पूर्व उपचारित बीजों की आपूर्ति करें तथा बीज के थैलों के साथ जैव-उर्वरक की भी व्यवस्था करें।

2.2 ब्लॉक प्रदर्शन

खेती की अनुशंसित विधियां अपनाने के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु तिलहनी फसलों पर ब्लॉक प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं। इन प्रदर्शनों में बीज, उर्वरक, नाशकजीवनाशी आदि जैसे निवेश किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान पर अपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि मूंगफली के लिए 4,000 रूपये, तोरिया और सरसों के लिए 2,000 रूपये, सूरजमुखी के लिए 2,500 रूपये तथा तिल और अरंड के लिए 1500 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

2.3 बीज मिनी किट

किसानों को नए और आशाजनक किस्मों के बीजों से युक्त बीज मिनी किटें (इनमें थोड़ी मात्रा में गुणवत्तापूर्ण बीज होते हैं) मुफत में उपलब्ध कराई जाती हैं। राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम तथा कृभको जैसी संस्थाएं भारत सरकार द्वारा किए गए आबंटन के अनुसार इन बीज मिनी किटों की आपूर्ति करती है।

2.4 जिप्सम की आपूर्ति

जिप्सम, गंधक का एक सस्ता स्त्रोत है और यह किसानों को सामग्री तथा

परिवहन लागत के 60 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है जिसकी सीमा 750 रूपये प्रति हैक्टर है। ध्यान रहे कि जिप्सम को गैर-समझे-बूझे इस्तेमाल करने की बजाय मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेत में डाला जाना चाहिए।

2.5 किसानों के प्रशिक्षण

वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित फसलोत्पादन की नई तकनीकों तथा पादप सुरक्षा संबंधी उपायों से अवगत कराने के लिए किसानों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। इस उदेश्य से प्रति प्रशिक्षण 15,000 रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। ये प्रशिक्षण उन गांवों में आयोजित नहीं किए जाने चाहिए जहां पिछले वर्ष आयोजित किए जा चुके हैं। प्रशिक्षण देने के लिए ऐसे फसल विशेषज्ञों को बुलाया जाना चाहिए जो विषय से पूर्णत: परिचित हैं।

2.6 स्प्रिंकलर सैटों का वितरण

किसानों को लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर स्प्रिंकलर सैट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह राशि प्रति हैक्टर 7,500 रूपये तक सीमित है।

2.7 किसान खेत विद्यालय

किसान खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति खेत विद्यालय 17,000 रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान हैं। इन प्रशिक्षण विद्यालयों में 30 किसानों के समूह को 16 सत्रों के लिए सप्ताह में एक बार सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। प्रमुख किसान खेत विद्यालय संबंधी क्रियाकलपों में फसल के नाशकजीवों के प्राकृतिक शत्रुओं का संरक्षण करते हुए स्वस्थ फसलें उगाना शामिल है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/खेतिहर महिलाओं को इस प्रकार के प्रशिक्षणों में उचित प्रतिनिधित्व दिय जाता है।

2.8 समेकित नाशीजीव प्रबंध पर प्रदर्शन

तिलहनी फसलों पर समेकित नाशीजीव प्रबंध के प्रदर्शन आयोजित किए जाते हैं जिसमें सरसों के लिए 930 रूपये प्रति हैक्टर, मूंगफली के लिए 1627.50 रूपये प्रति हैक्टर तथा सूरजमुखी के लिए 1230 रूपये प्रति हैक्टर की वित्तीय

सहायता प्रदान की जाती है। इन प्रदर्शनों में रासायनिक नाशीजीवनाशकों का न्यूनतम मात्रा में प्रयोग करने के लिए नाशकजीवों और रोगों के प्रबंधन हेतु जैव - नाशकजीवनाशी उपलब्ध कराए जाते हैं।

2.9 पादप सुरक्षा संबंधी उपकरण

किसानों को पादप सुरक्षा संबंधी उपकरण (छिड़काव पंप) 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते है। यह राशि मानव चालित सुरक्षा उपकरण के लिए 600 रूपये प्रति उपकरण तथा शक्ति चालित उपकरण के लिए 2000 रूपये प्रति उपकरण की दर पर प्रदान की जाती है।

2.10 उन्नत फार्म उपकरण

किसानों को उन्नत फार्म उपकरण उपलब्ध कराने के लिए उपकरण की लागत के 50 प्रतिशत की दर से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है जो मानव/बैल से चलाए जाने वाले प्रति उपकरण के लिए 2,500 रूपये तथा शक्ति से चलने वाले उपकरण के लिए 15,000 रूपये प्रति उपकरण, इनमें से जो भी कम हो, प्रदान की जाती है।

3. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.आई)

कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में सम्पूर्ण विकास सुनिक्षित करते हुए कृषि के क्षेत्र में प्रति वर्ष 4 प्रतिशत की वृद्धि दर प्राप्त करने हुतु 11वीं योजना अवधि में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

3.1 भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली बिछाने के लिए सहायता

कृषि के लिए सिंचाई हेतु भूमिगत पाइप लाइन प्रणाली बिछाने के लिए प्रत्येक लाभकर्ता को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाता है जिसकी अधिकतम सीमा 60,000 रूपये है।

3.2 स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सहायता

पांच हैक्टर की अधिकतम सीमा रखते हुए प्रति हैक्टर 7500 रूपये की

अधिकतम दर से स्प्रिंकलर प्रणाली की कुल लागत की 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है।

3.3 बीज घटक

मृदा के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दर पर तोरिया का बीज तथा 90 प्रतिशत अनुदान पर ढेंचा का बीज आपूर्त किया जाता है।

3.4 जिप्सम

गंधक की कमी को दूर करने के लिए जिप्सम पर 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

3.5 बरसीम के लिए मिनी किट

राज्य में हरे चारे की खेती व उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए बरसीम बीज की एक मिनी किट में 2 कि.ग्रा. बीज होता है जो आधे एकड़ क्षेत्र के लिए पर्याप्त है। एक किसान को एक ही मिनी किट दी जाती है और किसान से 20 रूपये प्रति किलो के हिसाब से लिया जाता है।

3.7 आदर्श कृषि ग्राम

उन्नत कृषि कर्यो का प्रभाव दर्शानो तथा जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक जिले के एक गाँव को 'आदर्श कुषि ग्राम' के रूप में विकसित किया जाता है। कृषि से संबधित क्रियाकलापों जैसे जागरूकता शिविरोंए प्रमाणित बीज का उपयोग, बीजोपचार, प्रदर्शनों, फार्म यंत्रों व उपकरणों को बढ़ावा देना सक्ष्म सिचाइ, भूमिगत पाईप लाइन, मृदा स्वास्थ्य आदि के बारे में इन ग्रामों में जागरूकता लाई जाती है। इस योजना के लिए प्रत्येक गाँव को 5.00 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

4 गहन कपास विकास कार्यक्रम: मिनी मिशन 2 – कपास प्रौद्यिगिकी मिशन

इस योजना का उददेश्य कपास का उत्पादन व इसकी उत्पादकता बढ़ाना हैं,

ताकि देश की घरेलू माँग के साथ-साथ निर्यात संबंधी माँग को भी पूरा किया जा सके। साथ ही, कपास की खेतों की लागत में कमी आए, नाशकजीवनाशियों की खपत कम हो और अंतराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सके। इस योजना के अंतर्गत किसानों को निम्न प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है।

4.1 किसान खेत विद्यालय

खेत विद्यालय आयोजि करने के लिए प्रति खेत किसान विद्यालय 17,000 रूपये की वित्तीय सहायता का प्रावधान है।

4.2 जैव-एजेंटों/जैव-नाशकजीवनाशियों की आपूर्ति

इसके लिए लागत की 50% दर पर वित्तीय साहयता प्रदान की जाती है जो 900.00 रूपये प्रति हैक्टर तक सीमित है।

5. हरियाणा राज्य में कपास की खेती को प्रोत्याहन

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कपास प्रौद्योगिकी मिशन (मिनी मिशन-2) के बचे हुए कार्यक्रमों/घटकों को पूरक बनाने/ जारी रखने के लिए''हरियाणा राज्य में कपास की खेती को प्रोत्याहन'' नाम से एक नई राज्य योजनागत स्कीम वर्तमान वर्ष के दौरान आरंभ की गई है। यह स्कीम राज्य के सभी कपास उगाने वाले जिलों में हिसार, फरीदाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेन्द्रगढ़, सोनीपत और कैथल के लिए है। इस स्कीम के अंतर्गत किसानों को निम्नलिखित सहायता प्रदान कराई गई है।

5.1 प्रमाणीकृत बीज का वितरण

पिछले 15 वर्षो के दौरान अधिसूचित कपास की किस्मों/संकरों का प्रमाणित बीज बाजार मूल्य की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता पर उपलब्ध कराया जाता है। यह सहायता एचएसडीसी, एनएससी, एसएफसीआई, सीसीएसएचएयू, कृभको, इफको आदि द्वारा बेचे जा रहे गुणवत्तापूर्ण बीज पर उपलब्ध होगी।

5.2 मानव चालित छिड़काव (स्प्रे) पंपों की आपूर्ति

मानव चालित छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर) किसानों को लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध कराए जातें है। यह राशि अधिक से अधिक 600 रुपये प्रति पंप होगी। किसान किसी भी भरोसेमंद स्रोत से अपनी पसंद का पंप खरीद सकते है और अनुदान लेने के लिए संबंधित रसीद ए.डी.ओ. को सौंप सकते हैं।

5.3 ट्रैकटर से चलने वाले छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर)

किसानों में वितरण के लिए ट्रैक्टर में लगाए जा सकने वाले छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर) लागत के 50 प्रतिशत अनुदान पर वितरण के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। अनुदान की यह राशि 10,000 रुपये प्रति छिड़काव यंत्र (स्प्रेयर) तक सीमित होगी। किसान ट्रैकटर में लगाए जा सकने वाला यह छिड़काव (स्प्रे) पंप किसी अनुमोदित निर्माणकर्ता से खरीद सकते हैं और अनुदान के दावे के लिए बिल संबंधित एडीओ को प्रस्तुत कर सकते हैं।

5.4 किसानों को प्रशिक्षण

किसानों को कपास की खेती के सभी पहलुओं से जुड़ी नवीनतम उत्पादन प्रौद्योगिकियों के बारें चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार तथा कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रस्तावित है कि 30 समूहों के किसानों को ऐसे 50 प्रशिक्षण दिए जाएं और एक दिन के प्रशिक्षण के लिए 5,000 रुपये का प्रावधान है।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन

राज्य में गन्ने की उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा एक नई राज्य योजनागत स्कीम, ''गन्ना प्रौद्योगिकी मिशन'' प्रस्तावित किए गए हैं।

6.1 बीज उपलब्ध कराना

गन्ना की खेती वाले क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों, छोटे व सीमांत किसानों व खेतिहर महिलाओं को गन्ना उगाने के लिए गन्ने के बीज पर 1000 रुपये प्रति हैक्टर की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की

जाती है।

6.2 बीजोपचार

गन्ने के बीज को जैव-एजेंटों (ट्राइकोडर्मा और स्यूडोमोनास) से उपचारित करने पर इसके रोगों और नाशकजीवों का प्रभावी नियंत्रण होता है। इसलिए गन्ना उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 500 रुपये की सहायता प्रदान ही जाती है।

6.3 प्रदर्शन

इसके लिए 2,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिसमें बीज, उर्वरक, जैव-नाशकजीवनाशी/जैव-एजेंटों जैसे अनिवार्य निवेशों के लिए 1,500 रुपये प्रति एकड़ की सहायता दी जाती है तथा शेष 500 रुपये की राशि किसान मेलों के आयोजिन के लिए उपयोग में लाई जाती है।

6.4 बुआई के लिए छल्ला-गडडा विधि

किसानों को गडडा खोदने की मशीन किराए पर लेने और मजदूरी आदि के लिए गन्ना की फसल हेतू 4,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.5 खाई/चौड़ी कतार के अंतराल वाली बुआई को बढ़ावा देना

किसानों को 3-3.5 फुट चौड़े अंतराल वाली कतारों में गन्ने की बुआई के लिए यंत्रों को किराए पर लेने, मजदूरी का भुगतान करने व उर्वरक आदि के लिए 2000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.6 एक बार से अधिक पेड़ी लगाना

किसानों के लिए गन्ने की खेती को अधिक लाभदायक बनाने के लिए बहु गन्ना पेड़ी उगाने को बढ़ावा दिया जाता है। इसके लिए ठूंठों को छीलने, जड़ों को छंटाई करने, खेत में सही जगह पर उर्वरक डालने और खेत में मौजूद खाली जगह को भरने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रति एकड़

1000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.7 गन्ने की फसल पर पलवार (मल्चिंग) बिछाना

गन्ने को पेड़ी वाले खेत में पलवार बिछाने के लिए 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से सहायता प्रदान की जाती हैं जिससे किसानों को अपने खेतों में नमी के संरक्षण व खरपतवारों के नियंत्रण में सहायता मिलती है।

6.8 किसान खेत विद्यालय

किसान खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति विद्यालय 20,000 रुपये की वित्तिय सहायता का प्रावधान है।

6.9 समेंकित पोषक तत्व प्रबंध

प्रदर्शन के तौर पर गन्ना की फसलों में जैव-उर्वरकों के लिए किसानों को प्रति हैक्टर 800/- रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

6.10 खेत उपकरण

गन्ना उगाने वाले किसानों को चिन्हित मानव चालित पाइप सुरक्षा संबंधी उपकरणों जैसे स्प्रेयरों व डस्टरों आदि की खरीद में प्रोत्साहन देने हेतु लागत की 50 प्रतिशत राशि या प्रति उपकरण 800 रुपये, इनमें से जो भी कम हो, अनुदान के रूप में दी जाती है। किसानों को पावर टिलर, ट्रैंच प्लान्टर और ट्रैक्टर चालित पावर स्प्रेयरों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाती है जिसका विवरण इस प्रकार है:

पावर टिलर पर 50 प्रतिशत अनुदान या 60 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो दिए जाते हैं।

ट्रैंच प्लान्टर पर 50 प्रतिशत अनुदान या 15 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो दिए जाते हैं।

ट्रैक्टर चालित पावर स्प्रेयर पर 50 प्रतिशत अनुदान या 15 हजार रुपये, इनमें से जो भी कम हो दिए जाते हैं।

7. कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध एजेंसी (आत्मा)

7.1 किसानों को प्रशिक्षण

जिले, राज्य में या राज्य के बाहर किसानों के प्रशिक्षण के लिए प्रति किसान क्रमश: 400 रुपये, 750 रुपये और 1000 रुपये प्रति दिन की दर से अनुदान के रूप में दिए जाते हैं। यह राशि प्रशिक्षण आयोजित करने वाली संस्था को दी जाती है।

7.2 प्रदर्शन का आयोजन

एक एकड़ के लिए प्रति प्रदर्शन 4,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

7.3 किसानों के लिए ज्ञान भ्रमण

जिले में, राज्य में तथा राज्य के बाहर किसानों के दस दिन के भ्रमण के लिए प्रति दिन क्रमश: 250 रुपये, 300 रुपये और 600 रुपये की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

7.4 कृषक समूहों को प्रोत्साहन

विभिन्न प्रकार के समूहों जिनमें कृषक हित समूह, महिला समूह, कृषक संगठन, जिंस संगठन और कृषक सहकारिताएं आदि भी शामिल हैं, को प्रेरित करने व गतिशील बनाने के लिए उनकी क्षमता निर्माण, निपुणता में विकास व सहायता सेवा आदि के लिए प्रति समूह 5000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता प्रदान की जाती है तथा बीज राशि/परिक्रामी निधि के रूप में प्रति समूह एक बार 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता भी दी जाती है।

7.5 किसानों को पुरस्कार

ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर विभिन्न उद्यमों का प्रतिनिधित्व करने वाले चयनित सर्वश्रेष्ठ किसान को अधिकतम क्रमश: 10,000 रुपये, 25,000 रुपये और 50,000 रुपये प्रति वर्ष कृषक पुरस्कार के रूप में प्रदान किए जाते हैं।

7.6 प्रदर्शनी, किसान मेला, फल/सब्जी प्रदर्शन

इस योजना के अंतर्गत प्रदर्शनी, किसान मेलों, फलों एवं सब्जियों आदि के प्रदर्शन आयोजित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर प्रति वर्ष क्रमश: 4.00 लाख रुपये और 5.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

7.7 किसान – वैज्ञानिक परिचर्चा

जिला स्तर पर 25 किसानों की कृषि वैज्ञानिकों के साथ चार दिन की चर्चा के लिए इस स्कीम में अंतर्गत 40,000 रुपये दिए जाते हैं।

7.8 खेत विद्यालय

इस स्कीम में खेत विद्यालय आयोजित करने के लिए प्रति खेत विद्यालय 29414 रुपये की राशि का प्रावधान है।

7.9 खेत दिवस तथा किसान गोष्ठियां

अनुसंधानकर्ताओं – प्रसार कर्मियों – किसानों के बीच सम्पर्क को सबल बनाने के लिए फील्ड दिवस गोष्ठियों के आयोजिन हेतु इस स्कीम के अंतर्गत प्रति ब्लॉक 15,000 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है।

8 प्रमाणीकृत बीजों के उपयोग को लोकप्रिय बनाना

बाजरा, धान, जौ और गेहूं की जो किस्में 15 वर्ष से कम पुरानी हैं उनकी किस्मों के प्रमाणीकृत बीज पर किसानों को 500 रुपये प्रति किवंटल की दर से सहायता प्रदान की जाती है।

9. राज्य योजना के अंतर्गत अनाज का वैज्ञानिक भंडारण

अनाज को धातु की कोठियों (10 किवंटल) में भरकर रखने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति के किसानों के लिए धातु की कोठियों (10 किवंटल और 5.6 किवंटल अनाज के लिए) पर 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है।

10. कृषि यंत्रीकरण

10.1 नलकूप लगाना

नलकूप लगाने के लिए किसानों को नाममात्र की दरों पर बोरिंग मशीनें उपलब्ध कराई जाती है। किसानों को अपने पुराने और नए नलकूपों को साफ करने के लिए न्यूनतम दरों पर कम्प्रेसर की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, ताकि वे नलकूपों से निकलने वाले जल की मात्रा बढ़ा सकें।

10.2 किसानों का प्रशिक्षण

किसानों को ट्रैक्टरों तथा इनसे मेल खाते उपकरणों के चुनाव, इनकी मरम्मत व बायो गैस संयंत्रों की मरम्मत, रखरखाव और परिचालन के संबंध में तकनीकी जानकारी देने के लिए उचित प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं।

10.3 बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय परियोजना के अंतर्गत बायोगैस संयंत्रों की स्थापना

परिवार के आकार के बायोगैंस संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को प्रति संयंत्र 8,000 रुपये की दर से अनुदान दिया जाता है और यदि इस बायोगैस संयंत्र के साथ शौचालय भी जोड़ा गया हो तो 1000 रुपये का अनुदान और दिया जाता है।

10.4 कृषि उपकरणों पर अनुदान

खेती की लागत कम करने, फसलों की समय पर बुआई और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों/यंत्रों के लिए राज्य व केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत अनुदान उपलब्ध कराया जाता है जो इस प्रकार है:

क्र.	उपकरण का नाम	प्राप्ति स्थल	प्रति इकाई रुपयों में अनुदान
1.	जीरो टिल सीडड्रिल	एनएफएसएम आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 15,000 रु.
2.	भूसा कटाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 40,000 रु
3.	धान रोपाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 50,000 रु
4.	लेज़र भूमि समतलन यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 50,000 रु
5.	भूसा निष्कासक	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 1,00,000 रु
6.	रीपर बाईडर	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 40,000 रु
7.	बहु फसल रोपाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 15,000 रु
8.	बीज ड्रिल	एनएफएसएम	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 15,000 रु
9.	कल्टीवेटर	आइएसओपी ओएम	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 7,000 रु
10.	कपास बीज ड्रिल	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 10,000 रु
11.	पावर टिलर	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 40,000 रु

12.	पावर निराई–गुड़ाई यंत्र	आरकेवीवाई	लागत का 50 प्रतिशत व अधिकतम 40,000 रु

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)
तिलहनीं, दलहनों, तेलताड़ और मक्का पर समेकित योजना (आईसोपॉम)

हरियाणा में किसानों कि लिए लाभकारी योजनाएं

- भूमिगत पाईप पर 50 प्रतिशत या 60,000 रुपये तक अनुदान।
- कई कृषि यंत्रोंपर 50 प्रतिशत तक का अनुदान।
- किसानों को सरकारी संस्थाओं से खरीदे गए सभी फसलों के प्रमाणित बीजों पर अनुदान।
- राज्य में वर्ष 2013–14 से फसल विविधीकरण योजना लागू ही गई।
- गडढा विधि से गन्ना उगाने पर 8000 रुपये प्रति एकड़ अनुदान।
- किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान पुरस्कार की राशि को 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया गया।
- संशोधित कृषि बीमा योजना–गेहुँ एवं धान की फसलों के लिए पायलट आधार पर करनाल, रोहतक, जीन्द व कैथाल जिलों में शामिल।
- सभी किसानों को निःशुल्क सॉयल हैल्थ कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य और सितम्बर, 2013 तक लगभग 1972 लाख कार्ड वितरित हो चुके है।
- मधुमक्खी पालन के लिए अनुसूचित जाति के किसानों/कृषि एवं गैर कृषि मजदूरी के लिए 75 प्रतिशत अनुदान।
- बायोगैस संयंत्रों पर 4000 रुपये से 8000 रुपये तक अनुदान।
- हस्तचालित स्प्रे पम्प एवं ट्रैक्टर चालित स्प्रे पर अधिकतम क्रमशः 600 रुपये

प्रति पम्प व 10,000 प्रति पम्प अनुदान।

- फव्वारा सिचाई संयंत्र पर 50 प्रतिशत या 7500 रुपये अनुदान।
- जिप्सम पर 50 प्रतिशत का अनुदान।
- मौसम आधारित फसल बीमा योजना राज्य में 12 जिलों के 27 ब्लॉकों में शामिल है।

टिप्पणी : उपकरणों/मदों की संख्या जो वित्तीय वर्ष में संबंधित जिले को लक्ष्य के अनुसार निर्धारित की गई है पहले बताई जा चुकी है।
सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का उप निदेशक (कृषि)

2. बागवानी विभाग के अंतर्गत कार्यान्यित योजनाएं

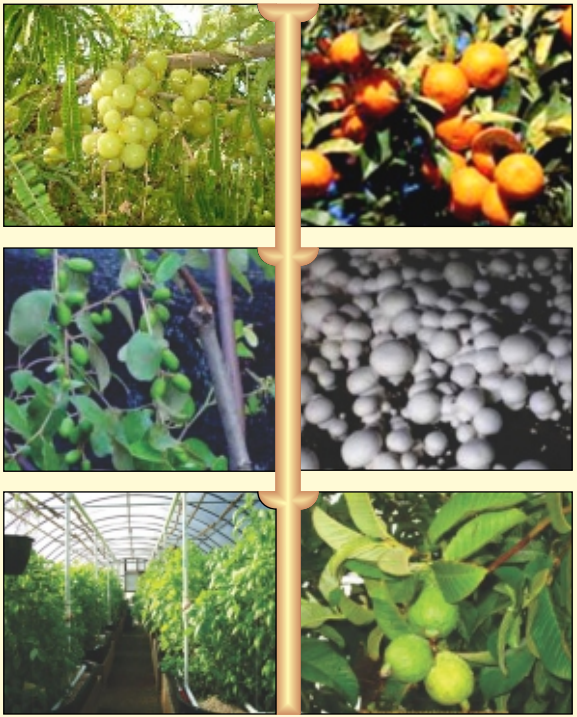

क. सं.	फसल/मद का नाम	कुल अस्थायी लागत (रूपये में)	सहायता की दर;%	सहायता राशि (रूपये में)	सहायता का विवरण
1	2	3	4	5	6
A)	अनुसंधान				आई.सी.ए.आर, सी.एस.आई.आर तथा अन्य के अंतर्गत केन्द्र सरकार के संस्थान अपने विद्यमान बजट में से अनुसंधान एवं विकास कार्यों को करेंगे जिसके लिए एक अनुसंधान परामर्षी समिति बल दिये जाने वाले क्षेत्रों की पहचान करेगी।
B)	**वृक्षारोपण इन्फ्रास्ट्रक्चर और विकास**				
	1 रोपण सामग्री का उत्पादन				
	I फल पौधे				
	a) सार्वजनिक तथा नीजि क्षेत्र				
	i) हाईटैक नर्सरी (अधिकतम 4 हेक्टेयर)	25 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर	100	25 लाख रूपये प्रति हेक्टेयर	परियोजना अधारित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सहायता राषि की अधिकतम सीमा 100.00 लाख रूप्ये प्रति ईकाई तथा नीजि क्षेत्र के लिए केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी 40 प्रतिषत है जिसकी अधिकतम सीमा 40.00 लाख रूप्ये प्रति ईकाई (अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र तक सीमित)। नीजि क्षेत्र के लिए यह सहायता राषि परियोजना आधारित गतिविधि है जोकि प्रोराटा आधारित है। प्रत्येक नर्सरी के लिए प्रत्येक वर्श न्यूनतम 50,000 पेरिनियल फलदार पौधे प्रति है0 का उत्पादन अनिवार्य है।
	ii) लघु नर्सरी (1 हेक्टेयर प्रति यूनिट)	15 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर	100	15 लाख रू0 प्रति हैक्टेयर	परियोजना अधारित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सहायता राषि 100 प्रतिषत है तथा नीजि क्षेत्र के लिए केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी 50 प्रतिषत है जिसकी अधिकतम सीमा 7.50 लाख रूप्ये प्रति ईकाई है। नीजि क्षेत्र के लिए यह सहायता राषि परियोजना आधारित गतिविधि है। प्रत्येक नर्सरी के लिए प्रत्येक वर्श न्यूनतम 25,000 vegetatively propagated फलदार पौधे का उत्पादन अनिवार्य है जोकि गुणवत्ता के लिए प्रमाणित होने चाहिए।

iii)	मान्यता मानदंडों को पूरा करने के लिए नर्सरी ढांचे की अपग्रेडिंग	10 लाख रू0 प्रति 4 हैक्टेयर नर्सरी क्षेत्र प्रोराटा आधारित	100	10 लाख रू0 प्रति 4 हैक्टेयर नर्सरी क्षेत्र	परियोजना अधारित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिषत तथा नीजि क्षेत्र के लिए 50 प्रतिषत अधिकतम 5.00 लाख रूपये/नर्सरी
iv)	विद्यमान टिषु कल्चर (टी.सी.) यूनिटों का सुदृढिकरण	20 लाख रू0 प्रति यूनिट	100	20 लाख रू0 प्रति यूनिट	परियोजना अधारित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिषत तथा नीजि क्षेत्र के लिए 50 प्रतिषत केडिट लिंकड बैक एंडिड अनुदान के रूप में।
v)	नई टी.सी. यूनिटों की स्थापना	250 लाख रू0 प्रति यूनिट ?	100	250 लाख रू0 प्रति यूनिट	परियोजना आधारित सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिषत तथा नीजि क्षेत्र के लिए 40 प्रतिषत केडिट लिंकड बैक एंडिड अनुदान के रूपमे प्रत्येक टी.सी यूनिट अधिदेषित फसल के न्यूनतम 25 लाख पौधों का उत्पादन करेगी जिनके लिए वाणिज्यिक उपयोग हेतू प्रोटोकॉल उपलब्ध हों।
vi)	सब्जी एवं मसालों का बीज उत्पादन				
a)	सार्वजनिक क्षेत्र				
i)	सब्जियों हेतू बीज उत्पादन तथा वितरण				
a.	ओपन पॉलीनेटेड़	35,000	100	35,000	परियोजना आधारित
b.	हाईब्रिड बीज उत्पादन	1,50,000	100	1,50,000	परियोजना आधारित
c.	सब्जी पौध उत्पादन यूनिट	1,04,00,000	100	1,04,00,000	परियोजना आधारित
ii)	रोपण सामग्री का परीक्षण और प्रदर्षन प्रयोजना के लिए आयात	100,00,000	100	100,00,000	परियोजना आधारित राज्य सरकार, पी.एस.यू
iii)	बीज आधारभूत ढांचा	200.00 लाख	100	200.00 लाख	परियोजना आधारित

लाभार्थी के पास लघु नर्सरी के लिए 1 हेक्टेयर एवं हाईटैक नर्सरी के लिए अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि एवं मातृक पौधों के साथ–साथ दूसरे घटक जैसे कि शेड नेट, पॉली हाउस, जल स्रोत इत्यादि होना अनिवार्य है। नर्सरी के घटक जोकि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से accreditation के लिए अनिवार्य हैं होने चाहिए ताकि लाभार्थी अपनी नर्सरी को राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से accredit करवा सके।

(बागवानी फसलों के बीजों की हैण्डलिंग प्रसंस्करण, पैकिंग, भण्डारण आदि हेतू)

b) नीजि क्षेत्र

i) बीज उत्पादन तथा सब्जियों का वितरण प्रति हेक्टेयर

a. ओपन पॉलीनेटेड़ 35,000

b. हाईब्रिड बीज उत्पादन 1,50,000

c. सब्जी पौध उत्पादन यूनिट 1,04,00,000

ii) बीज आधारभूत ढांचा 200.00 लाख

B.2 नए बगीचों की स्थापना (क्षेत्र विस्तार)

i) फल (प्रति लाभार्थी 4 हेक्टेयर के अधिकतम क्षेत्र हेतू)

a) सघन फसलों की लागत

a) ड्रीप सिंचाई तथा ट्रेलिस के साथ एकीकृत पैकेज 4.00 लाख प्रति है0

35	12,250	प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित होगा। प्रत्येक फसल के लिए बीज का उत्पादन लक्ष्य के फण्ड जारी करने से पहले प्रत्येक लाभार्थी के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी किया जायेगा।
35	52,500	प्रति लाभार्थी 5 हेक्टेयर तक सीमित होगा। प्रत्येक फसल के लिए बीज का उत्पादन लक्ष्य के फण्ड जारी करने से पहले प्रत्येक लाभार्थी के लिए संबंधित राज्य द्वारा जारी किया जायेगा।
50	52,00,000	परियोजना आधारित बीमारी रहित हाईब्रिड सब्जी पौध के उत्पादन को बढ़ावा देना जो कि अधिकतम 10,000 वर्गमीटर क्षेत्र में ग्रीन हाउस ढ़ांचे की सुविधा उपलब्ध कराते हुए लागत का 50 प्रतिषत सहायता केडिट लिंकड बैक एंडिड अनुदान के रूप में दी जानी है।
50	100.00 लाख	परियोजना आधारित नीजि क्षेत्र के केस में केडिट लिंकड बैक एंडिड अनुदान।
40	1.60 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1.60 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी.एम/आई.एन.एम), टपका सिंचाई, ट्रेलिस इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए।

b) बिना एकीकृत पैकेज के	1.25 लाख प्रति है0	40	0.50 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 50 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए।
ii) स्ट्रॉबेरी				
a) ड्रीप सिंचाई तथा मलचिंग के साथ एकीकृत पैकेज	2.80 लाख प्रति है0	40	1.12 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1. 12 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम), टपका सिंचाई, मलचिंग इत्यादि षामिल हैं तथा एक ही किस्त में दिया जाना है।
b) बिना एकीकृत पैकेज के	1.25 लाख प्रति है0	40	0.50 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 50 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस इत्यादि षामिल हैं तथा एक ही किस्त में दिया जाना है।
iii) केला (sucker)				
a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज	2.00 लाख प्रति है0	40	0.80 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 80 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम), टपका सिंचाई इत्यादि षामिल हैं तथा दो किस्त 75:25 के अनुपात में दिया जाना है।
b) बिना एकीकृत पैकेज के	87,500 प्रति है0	40	35,000	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 35 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस इत्यादि षामिल हैं तथा दो किस्त 75:25 के अनुपात में दिया जाना है।
iv) केला (TC)				
a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज	3.00 लाख प्रति है0	40	1.20 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 1. 20 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) टपका सिंचाई इत्यादि षामिल हैं तथा दो किस्त 75:25 के अनुपात में दिया जाना है।
b) बिना एकीकृत पैकेज के	I.25 लाख प्रति है0	40	50,000	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 50 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) इत्यादि षामिल हैं तथा दो किस्त 75:25 के अनुपात में दिया जाना है।

v) पपीता

a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज — 2.00 लाख प्रति है0

b) बिना एकीकृत पैकेज के — 0.60 लाख प्रति है0

vi) अल्ट्रा हाईडेंसिटी (meadow orchard)

a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज — 2.00 लाख प्रति है0

b) बिना एकीकृत पैकेज के — 1.25 लाख प्रति है0

viii) उच्च घनत्व पौधा रोपण (आम, अमरूद, लीची, अनार, नींबू वर्गीय आदि)

a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज — 1.50 लाख प्रति है0

40	0.80 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 80 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) टपका सिंचाई इत्यादि षामिल हैं तथा दो किस्त 75:25 के अनुपात में दिया जाना है।
50	30,000	लागत की 50 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 30 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) इत्यादि षामिल हैं तथा दो किस्त 75:25 के अनुपात में दिया जाना है।
40	0.80 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 80 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) टपका सिंचाई तथा कैनोपी मैनेजमेंट इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए।
40	0.50 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 50 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए।
40	0.60 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 60 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) टपका सिंचाई तथा कैनोपी मैनेजमेंट इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए।

b) बिना एकीकृत पैकेज के 1.00 लाख प्रति है0			
ix) उच्च घनत्व पौधा रोपण (आम, अमरूद, लीची, अनार, नींबू वर्गीय आदि)			
a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज 1.50 लाख प्रति है0	40	0.60 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 60 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) टपका सिंचाई तथा कैनोपी मैनेजमेंट इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए।
b) बिना एकीकृत पैकेज के 1.00 लाख प्रति है0	40	0.40 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 40 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 में दिया जाना है
b) सघन फसलों के इलावा अन्य फलदार फसलों की लागत			
i) सामान्य अन्तराल पर लगने वाली फलदार फसलें सघन फसलों के इलावा			
a) ड्रीप सिंचाई के साथ एकीकृत पैकेज 1.00 लाख प्रति है0	40	0.40 लाख	लागत की 40 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 40 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी. एम/आई.एन.एम) टपका सिंचाई तथा कैनोपी मैनेजमेंट इत्यादि षामिल हैं तथा यह पेरिनियल फसलों के लिए 3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए तथा नान–पेरिनियल फसलों के लिए 75:25 के अनुपात में दो किस्तों में दिया जाना है।
b) बिना एकीकृत पैकेज के 0.60 लाख प्रति है0	50	0.30 लाख	लागत की 50 प्रतिषत सहायता जिसकी अधिकतम सीमा 0. 30 लाख रू0 प्रति है0 जिसमें पौधे, इनपुटस (आई.पी.

नोटः

1. चयनित फल फसलों के क्षेत्र विस्तार की सांकेतिक ईकाई लागत अनुलग्न–1 में दिया जाता है।

2. किसानों तथा विस्तार अधिकारियों की सुविधा के लिए कुछ खास अन्तर के साथ कुछ फसलों के ब्रेक–अप नीचे दिया गया है।

3. उपरोक्त के इलावा अन्य फासलों के लिए अनुलग्न–1 तथा एम.आई.डी.एच की मुख्य दिशा निर्देशों की सहायता ली जा सकती है।

i)	स्ट्रॉबेरी प्रति है0 (0.6mx0.25m)	1,25,000
ii)	पपीता प्रति है0 (1.8mx1.8m)	60,000
iii)	अल्ट्रा हाईडेंसिटी	1,25,000

b) उच्च घन्तव पौधा रोपण

i)	अमरूद (3mx3m)	73,000
ii)	आम (6mx3m)	56,975
iii)	आड़ू (2.5mx2.5m)	1,00,000
iv)	आड़ू (3mx2.5m)	91,655
v)	नाषपाती (3mx3m)	73,000
vi)	अनार (5mx2.5m)	80,000

c) सामान्य अंतर का उपयोग करते हुए लागत प्रधान फसलों के अतिरिक्त अन्य फल फसलें

एम/आई.एन.एम) इत्यादि षामिल हैं तथा यह 3 किस्तों 60:20:20 में दिया जाना है।

40	50,000	एक किस्त मे
50	30,000	दो किस्तों में 75:25

		पहले साल	दूसरे साल
		22,500	75,000
40	50,000	3 किस्तों 60:20:20 के अनुपात में इस षर्त के साथ द्वितीय वर्श 75 प्रतिषत तथा तृतीय वर्श 90 प्रतिषत पौधे जीवित होने चाहिए	

पहला साल	दूसरा साल	तीसरा साल	
30,000	10,000	10,000	
पहला साल	दूसरा साल	तीसरा साल	
17,520	5,840	5,840	
13,674	4,558	4,558	
24,000	8,000	8,000	
21,997	7,332	7,332	
17,520	5,840	5,840	
19,200	6,400	6,400	

लागत का 75 प्रतिषत दूसरे वर्श में तथा 90 प्रतिषत तीसरे वर्श की जीवित रहने की दर के अधीन 60:20:20 की 3 किस्तों में।

i) बेर;4उग4उद्ध 43,750
ii) बेर;5उग5उद्ध 35,000
iii) सिटरस;3उग6उद्ध 50,000
iv) सिटरस;6उग6उद्ध 40,000
v) अमरूद;3उग6उद्ध 51,650
vi) अमरूद;6उग6उद्ध 38,300
vii) लीची ;6उग6उद्ध 43,900
viii) आम;4उग6उद्ध 48,720
ix) नाषपाती ;4उग4उद्ध 48,750
x) अनार ;5उग4उद्ध 53,000
xi) चीकू;5उग5उद्ध 45,400

d) 2013–14 में लगाये गये उच्च घनत्व फलों के पौधों का प्रथम वर्श का रखरखाव पहले के मानदण्डों अनुसार रू0 8000/– प्रत्येक लाभार्थी जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी है।

e) 2012–13 में लगाये गये उच्च घनत्व फलों के पौधों का द्वितीय वर्श का रखरखाव पहले के मानदण्डों अनुसार रू0 8000/– प्रत्येक लाभार्थी जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी है।

f) 2013–14 में लगाये गये साधारण फासले पर लगाये गये फलों केपौधों का प्रथम वर्श का रखरखाव
पहले के मानदण्डों अनुसार रू0 2750/– (बेर), 5250/– (नींबू वर्गीय व चीकू), 6000/– (आम, अमरूद, आड़ू, नाषपती व अलूचा) प्रत्येक लाभार्थी जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी है।

g) 2012–13 में लगाये गये साधारण फासले पर लगाये गये फलों के पौधों का द्वितीय वर्श का रखरखाव
पहले के मानदण्डों अनुसार रू0 2750/– (बेर), 5250/– (नींबू वर्गीय व चीकू), 6000/– (आम, अमरूद, आड़ू, नाषपती व अलूचा) प्रत्येक लाभार्थी जिसकी अधिकतम सीमा 4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी है।

II सब्जी (अधिकतम क्षेत्र 2 है0 के लिए)

		पहला साल	पहला साल	पहला साल
50	21,875	13,125	4,375	4,375
50	17,500	10,500	3,500	3,500
50	25,000	15,000	5,000	5,000
50	20,000	12,000	4,000	4,000
50	25,825	15,495	5,165	5,165
50	19,150	11,490	3,830	3,830
50	21,950	13,170	4,390	4,390
50	24,360	14,616	4,872	4,872
50	24,375	14,625	4,875	4,875
50	26,500	15,900	5,300	5,300
50	22,700	13,620	4,540	4,540

i)	संकर (हाईब्रिड)	50,000	40	20,000	
III	मषरूम				
a)	सार्वजनिक क्षेत्र				
i)	मषरूम उत्पादन इकाई	20,00,000	100	20,00,000	परियोजना आधारित
ii)	स्पॉन बनाने की इकाई	15,00,000	100	15,00,000	
iii)	कम्पोस्ट बनाने की इकाई	20,00,000	100	20,00,000	
b)	नीजि क्षेत्र				
i)	मषरूम उत्पादन इकाई	20,00,000	40	8,00,000	केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी के
ii)	स्पॉन बनाने की इकाई	15,00,000	50	7,50,000	रूप में आधारभूत ढांचे के खर्चे के लिए
iii)	कम्पोस्ट बनाने की इकाई	20,00,000	40	8,00,000	आवेदन + प्रारूप–11
IV	फूल (प्रति लाभार्थी अधिकतम 2 हेक्टेयर हेतू)				
a)	कटे फूल (प्रति है0)				कटे गुलाब, कारनेषन, गुलदाउदी,
i)	एस. एण्ड एम. किसान	1,00,000	40	40,000	जरबेरा।
ii)	अन्य किसान	1,00,000	25	25,100	ग्लेडियोलस, लीलियमस, रजनीगंधा।
b)	बलबस फूल (प्रति है0)				
i)	एस. एण्ड एम. किसान	1,50,000	40	60,000	अनुदान उस लाभार्थी को दिया जायेगा
ii)	अन्य किसान	1,50,000	25	37,500	जिसके पास उस फसल के अन्तर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्र होगा।
c)	खुले फूल (प्रति है0)				वार्षिक गुलदाउदी, खुले गुलाब के फूल,
i)	एस. एण्ड एम किसान	40,000	40	16,000	गेंदा।
ii)	अन्य किसान	40,000	25	10,000	कुल सहायता राषि में से बीज/पौधा रोपण की सामग्री को काट कर षेश राषि को आई.एन.एम/ आई.पी.एम इत्यादि पर समय समय पर मिषन निदेषक द्वारा जारी दिषा निर्देषों अनुसार खर्च की जा सकती है।
V	मसाले (प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतू)				
a)	बीज मसाले तथा रीझोमेटिक मसाले	30,000	40	12,000	उदाहरण के लिए हल्दी, अदरक, लहसुन

b)	बारहमासी मसाले	50,000	40	20,000
VI	सुगंधित पौधे (प्रति लाभग्राही अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतू)			
a)	लागत प्रधान सुगधिंत पौधे (प्रति हेक्टेयर)	1,00,000	40	40,000
b)	अन्य सुगंधित पौधे	40,000	40	16,000
B3.	कायाकल्प/बूढा वृक्षारोपण के प्रतिस्थापन सहित चंदाव प्रबंधन (अधिकतम 2 लाभार्थी प्रति हेक्टेयर)			
a)	केवल कलस्टर में षामिल फसलों के लिए	40,000	50	20,000
B4.	जल संसाधन स्रोतों का सृजन			
a)	प्लास्टिक/आर.सी.सी लाइनिंग के साथ खेत के तालाबों/खेत के पानी भण्डारों पर सामुदायिक टैंक			
i)	मैदान क्षेत्र (प्रति इकाई)	20,00,000	100	20,00,000
ii)	पहाडी क्षेत्र (प्रति इकाई)	25,00,000	100	25,00,000
b)	Individual के लिए जल संग्रहण व्यवस्था – पानी का भण्डारण 20mx20mx3m तालाब/कुओं पर 100/– प्रति क्यूबिक मी0 (प्रति इकाई)			
i)	मैदान क्षेत्र (प्रति इकाई)	1,50,000	50	75,000
ii)	पहाडी क्षेत्र (प्रति इकाई)	1,80,000	50	90,000

अनुदान उस लाभार्थी को दिया जायेगा जिसके पास उस फसल के अन्तर्गत 1 हेक्टेयर क्षेत्र होगा। यह सहायता राषि प्लांटिग मैटेरियल व आई.पी.एम/ आई.एन.एम के मैटेरियल के लिए है।

काली मिर्च, दालचीनी, लौंग और जायफल

सुगंधरा, जेरानियम, मेंहदी आदि
यह सहायता राषि प्लांटिग मैटेरियल व आई.पी. एम/आई.एन.एम के मैटेरियल के लिए है।

यह सहायता राषि प्लांटिग मैटेरियल व आई.पी.एम/आई. एन.एम के मैटेरियल के लिए है।

20,000/– रूपये प्रति हेक्टेयर की सीमा तक वास्तविक लागत का दावा करना

B5. संरक्षित खेती

I) ग्रीन हाउस संरचना

b)	स्वभाविक रूप से हवादार प्रणाली		
	500 वर्गमीटर क्षेत्र तक	1060	50+15
	>500 से 1008 वर्गमीटर क्षेत्र तक	935	50+15
	>1008 से 2080 वर्गमीटर क्षेत्र तक	890	50+15
	>2080 से 4000 वर्गमीटर क्षेत्र तक	844	50+15
B	नेट हाउस टयूबर संरचना		
	अतिरिक्त प्लास्टिक षीर्श के साथ	710	50+15
	4 मीटर उंचाई से अधिक गुबंद आकार	600	50+15
	झ4 मीटर उंचाई फ्लैटआकार, जी.आईसंरचना	600	50+15
	4 मीटर उंचाई के साथ फ्लैट आकार	550	50+15
	केबल षहतीर 4 मीटर उंचाई के साथ		
C	वॉक–इन–टनल		
	3 मीटर तथा <4.25 मीटर उंचाई	600	50+15
	2 मीटर तथा <3 मीटर उंचाई	400	50+15

पहाड़ी क्षेत्र के लिए

A	पॉलीहाउस : स्वभाविक रूप से हवादार प्रणाली		
	500 वर्गमीटर क्षेत्र तक	1219	50+15
	>500 से 1008 वर्गमीटर क्षेत्र तक	1075.25	50+15

सरंचनाएं बाद के पृश्ठों पर निर्देषानुसार बनाया जा सकता है।

530.00+139.00 प्रति लाभार्थी अनुदान 4000 वर्ग मीटर तक सीमित = 689.00

467.50+140.25 = 607.75

445.00+133.50 = 578.5

422.00+126.60 = 548.6

355.00+106.50 = 461.5

300.00+ 90.00 = 390.00

300.00+ 90.00 = 390.00

275.00+82.50 = 357.50

300.00+90.00 = 390.00

200.00+ 60.00 = 260.00

प्रतिलाभार्थी अनुदान 4000 वर्ग मीटर तक सीमित

609.50+ 182.85 = 792.35

537.62+161.28 = 698.90

>1008 से 2080 वर्गमीटर क्षेत्र तक	1023.5	50+15
ठ नेट हाउस टयूबर संरचना अतिरिक्त प्लास्टिक षीर्श के साथ	816.5	50+15
4 मीटर उंचाई से अधिक गुबंद आकार	690	50+15
>4 मीटर ऊंचाई फ्लैटआकार, जी.आई संरचना 4 मीटर उंचाई के साथ	690	50+15

लागत मानदंड का अर्थ अनुदान की गणना के लिए लागत की अधिकतम सीमा

क्षेत्र सीमा–सभी प्रकार की संरचनाओं को मिलाकर अनुदान के लिए क्षेत्र की सीमा प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक है। जैसे कि एक लाभार्थी किसान चाहे एक ही प्रकार की संचरना या सभी प्रकार की संरचनाओं (एन.वी.पी.एच/एच.टी.जी.एच/डब्ल्यू.आई.टी/नेट हाउस) को मिलाकर 4000 वर्गमीटर क्षेत्र तक ही अनुदान ले सकता है।

II)	मलचिंग (प्रति है0)		
	सामान्य क्षेत्र	32,000/ha	50
	पहाडी क्षेत्र	36,800/ha	50
III)	प्लास्टिक टनल		
	सामान्य क्षेत्र	60/sqm	50
	पहाडी क्षेत्र	75/sqm	50
IV)	पक्षी रोधी/वृश्टि रोधी जाली	35/sqm	50
V)	पॉली हाउस में उगाई गई उच्च मूल्य सब्जियों की बागान सामग्री की लागत	140/sqm	50
VI)	पॉली हाउस/षेड नेट हाउस में उगाए जाने वाले फूलों की (कारनेषन तथा जरबेरा) के पौध सामग्री की लागत	कारनेशन –514/sqm	50

511.75+153.50
= 669.82

408.25+122.47
= 530.72
345.00+103.50
= 448.50
345.00+103.50
= 448ण50

16,000/ha 18,400/ha	अधिकतम सीमा : 2 है0 प्रतिलाभार्थी
30/sqm	प्रति लाभार्थी 1000 वर्ग मीटर तक सीमित
37.5/sqm	
17.5/sqm	प्रति लाभार्थी 5000 वर्ग मीटर तक सीमित
70/sqm	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित
कारनेषन –257/sqm	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित

जरबेरा–391ेुउ		50	जरबेरा – 196/sqm	
टप्प्द्ध पॉली हाउस/षेड नेट हाउस में उगाए जाने वाले फूलों की (गुलाब तथा लिलियम) के पौध सामग्री की लागत				
गुलाब–286ेुउ		50	गुलाब–143/sqm	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित
लिलियम–426ेुउ		50	लिलियम–213/sqm	
टप्प्द्धपॉली हाउस/षेड नेट हाउस में उगाए जाने वाले फूलों की (गुलदावदी तथा डेहलिया) के पौध सामग्री की लागत				
गुलदावदी –242ेुउ		50	गुलदावदी –121/sqm	प्रति लाभार्थी 4000 वर्ग मीटर तक सीमित
डेहलिया–190ेुउ		50	डेहलिया – 95/sqm	

नोटः रोपणसामग्री व इनपुटस के लिए अनुदान दो किस्तों में प्रदान किया जायेगा। 50 प्रतिषत के रूप में अनुदान की प्रथम किस्त फूलों की फसल लगाने के बाद दी जायेगी तथा बकाया 50 प्रतिषत दूसरी किस्त के रूप में फूलों की फसल लगाने के दो माह के पश्चात दी जायेगी।

B6. पी.एफ.डी.सी के माध्यम से सटीकता कृषि विकास	40,00,000	100	40,00,000	परियोजना आधारित – पी.एफ.डी.सी को लागत का 100 प्रतिशत
B7. एकीकृत पोशण प्रबंधन (आई.एन.एम)/ एकीकृत कीट प्रबंधन (आई.पी.एम) का संवर्धन				
i) सेनेट्री तथा फाइटो सेनेट्री आधारभूत ढांचा	100.00 लाख	100	100.00 लाख	लागत का 100 प्रतिशत। यह कम्पोनेंट केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए।
ii) आई.पी.एम का संवर्धन	4,000 प्रति हेक्टेयर	30	1,200 प्रति हेक्टेयर	4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित
आई.एन.एम का संवर्धन	4,000 प्रति हेक्टेयर	30	1,200 प्रति हेक्टेयर	4 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी तक सीमित घुलनशील उर्वरक आई.एन.एम का हिस्सा है तथा इस कम्पोनेंट को बढावा देने के लिए विस्तार दिषानिर्देष तथा विषिश्टाएं बाद के पृश्ठों पर दिया गया है।
iii) रोग पूर्वानुमान इकाई	6,00,000	100	6,00,000	लागत का 100 प्रतिषत। यह कम्पोनेंट केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए।
iv) जैव–नियंत्रण प्रयोगशाला				
सार्वजनिक क्षेत्र	90,00,000	100	90,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी
नीजि क्षेत्र	90,00,000	50	45,00,000	
v) पौधा स्वास्थ्य क्लीनिक				
सार्वजनिक क्षेत्र	25,00,000	100	25,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी
नीजि क्षेत्र	25,00,000	50	12,50,000	

vi) पत्ते/टिषू विष्लेशण प्रयोगषाला				
सार्वजनिक क्षेत्र	25,00,000	100	25,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी
नीजि क्षेत्र	25,00,000	50	12,50,000	
B8. जैविक कृशि				
i) जैविक कृशि को अपनाना (प्रति हेक्टेयर)	20,000	50	10,000	प्रति लाभार्थी अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल हेतू पहले वर्श की सहायता – 4,000/– रूपये प्रति है दूसरे वर्श की सहायता – 3,000/– रूपये प्रति है तृतीय वर्श की सहायता – 3,000/–रूपये प्रति है कार्यक्रम को प्रमाणीकरण के साथ जोडा जा रहा है।
ii) प्रमाणीकरण (प्रति कलस्टर)	परियोजना आधारित	.	5,00,000 प्रति कलस्टर	1 कलस्टर – 50 हेक्टेयर प्रथम वर्श की राषि – 1.50 लाख द्वितीय वर्श की राषि – 1.50 लाख तीय वर्श की राषि – 2.00 लाख
iii) वर्मी कम्पोस्ट यूनिट/जैविक आदान उत्पादन यूनिट				
वर्मी कम्पोस्ट यूनिट प्रति यूनिट	1,00,000	50	50,000	स्थायी ढांचे के एक 30"x8"x2.5" आयाम की इकाई के आकार के अनुरूप जिसे प्रो–राटा आधार पर प्रषासित किया जाना है।
एच.डी.पी.ई. वर्मीबेड	16,000	50	8,000	एच.डी.पी.ई. वर्मीबेड हेतू 96 सी.एफ.टी (12x4x2)के आकार की पुश्टि वाली जिसे प्रो–राटा आधार पर प्रषासित किया जाना है। आई.एस. 15907: 2010
B9. अच्छे कृशि व्यवहारों (जी.ए.पी) हेतू प्रमाणीकरण, आधारभूत ढांचा सहित प्रमाणीकरण कार्यक्रम (प्रति हेक्टेयर)	10,000	50	5,000	प्रति लाभार्थी के लिए अधीकतम क्षेत्र 4 हेक्टेयर
B10. मधुमक्खी पालन के माध्यम से मकरंदीय समर्थन				
a) न्यूक्लियस स्टाक का उत्पादन (सार्वजनिक क्षेत्र)	20,00,000	100	20,00,000	
b) मधुमक्खी ब्रीडर द्वारा	10,00,000	40	4,00,000	न्यूनतम 2000 कालोनी प्रति वर्श उत्पादन

	मधुमक्खी कालोनियों का उत्पादन				
c)	मधुमक्खी कालोनी (8 फ्रेम प्रति कालोनी)	2,000	40	800	प्रति लाभग्राही 50 कालोनियों तक सीमित
d)	मधुमक्खी छत्ते	2,000	40	800	प्रति लाभग्राही 50 कालोनियों तक सीमित
e)	षहद निकालने वाले (4 फ्रेम), फूड ग्रेड कंटेनर (30 किलो), जाली आदि सहित उपकरण	20,000	40	8,000	प्रति लाभार्थी एक सेट तक सीमित
B12	बागवानी यंत्रिकरण				
i	ट्रेक्टर 20 पी.टी.ओ. एच.पी.				
क)	सामान्य जाति के किसान	300000	25	75000	अधिकतम 1 सैट प्रति लाभार्थी
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु एवं सीमान्त किसान/महिलाएं	300000	35	100000	उपरोक्त
ii	षक्ति चालित हल				
1)	शक्ति चालित हल (8 एच.पी. से कम)				
क)	सामान्य जाति के किसान	100000	40	40000	उपरोक्त
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु एवं सीमान्त किसान/महिलाएं	100000	50	50000	उपरोक्त
2)	षक्ति चालित हल (8 बी.एच.पी. व अधिक)				
क)	सामान्य जाति के किसान	150000	40	60000	उपरोक्त
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु एवं सीमान्त किसान/महिलाएं	150000	50	75000	उपरोक्त
iii	ट्रेक्टर/षक्ति चालित हल (20 बी.एच.पी. से कम)				
1)	भूमि विकास जुताई यंत्र व बीज के लिए क्यारी तैयार करने के उपकरण				
क)	सामान्य जाति के किसान	30000	40	12000	उपरोक्त
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु एवं सीमान्त किसान/महिलाएं	30000	50	15000	उपरोक्त
2)	बीजाई, पौधा रोपण, कटाई व खुदाई हेतु उपकरण				
क)	सामान्य जाति के किसान	30000	40	12000	उपरोक्त
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु	30000	50	15000	उपरोक्त

	एवं सीमान्त किसान/महिलाएं				
3)	प्लास्टिक मल्च बिछाने की मषीन				
क)	सामान्य जाति के किसान	70000	40	28000	उपरोक्त
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु एवं सीमान्त किसान/महिलाएं	70000	50	35000	उपरोक्त
iv	स्वंय प्रवणता बागवानी यन्त्र				
क)	सामान्य जाति के किसान	250000	40	100000	उपरोक्त
ख)	अनु0जाति/जन जाति/लघु एवं सीमान्त किसान/महिलाएं	250000	50	125000	उपरोक्त
v	प्रदर्षन हेतू बागवानी के लिए नयी मषीनों तथा औजारों का आयात	5000000	1000	5000000	केवल सरकारी संस्थान के लिए
B13	प्रदर्शन/फ्रंट लाइन प्रदर्षन (एफ.एल.डी) के माध्यम से प्रोद्योगिकी प्रसार				
i)	सार्वजनिक क्षेत्र	25,00,000	100	25,00,000	सार्वजनिक क्षेत्र, एस.ए.यू आदि के लिए
ii)	नीजि क्षेत्र	25,00,000	75	18,75,000	किसानों के खेतों पर
B14	मानव संसाधन विकास (एच.आर.डी)				
a)	पर्यवेक्षकों हेतू एच.आर.डी	20,00,000	100	20,00,000	पहले वर्श में लागत का 100 प्रतिषत। बाद के वर्शों में आधारभूत ढांचे की लागत का दावा नहीं किया जायेगा।
b)	उद्यमियों हेतू एच.आर.डी	20,00,000	100	20,00,000	उपरोक्त
c)	मालियों हेतू एच.आर.डी	15,00,000	100	15,00,000	उपरोक्त
d)	किसानों का प्रिषक्षण				
i)	जिले के भीतर	1000	100	1000	म्गचमदेमे चमत कंल चमत तिउमत मगबसनकपदह जतंदेचवतज ंदक रवनतदमल कंलेण ।बजनंस मगचमदेमे वद इने ंदकध्वत जतंपद ंतम जव इम तमपउइनतेमक ंदक बींतहमंइसम जव उपेपवद उहजण ज्तंपदपदह चमतपवक जव इम सपउपजमक जव 2.6 कंले पदबसनकपदह जतंअमस चमतपवकण
ii)	राज्य के भीतर	परियोजना आधारित	100	परियोजना आधारित	ट्रांसपोर्ट के खर्चे सहित
iii)	राज्य से बाहर	परियोजना आधारित	100	परियोजना आधारित	परियोजना आधारित
e)	किसानों का प्रभावन दौरा				
i)	राज्य से बाहर	परियोजना आधारित	100	परियोजना आधारित	

ii)	भारत से बाहर	4,00,000	100	4,00,000 परियोजना के आधार पर वास्तविक आधार पर वायु/रेल यात्रा लागत की 100 प्रतिषत तथा कोस फीस लागत मिषन प्रबंधन के तहत वित पोशित किया जाना है।
f)	तकनीकी स्टाफ/क्षेत्रीय कार्यकारियों का प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा			
i)	राज्य के भीतर	300	100	300 प्रति प्रतिभागी प्रति दिन + देय होने के अनुसार यात्रा व्यय/दैनिक व्यय। प्रषिक्षण अवधि 2–6 दिनों तक यात्रा अवधि तक सीमित।
ii)	प्रगतिशील राज्यों/इकाईयों का अध्ययन दौरा	800	100	800 प्रति प्रतिभागी प्रति दिन + देय होने के अनुसार यात्रा व्यय/दैनिक व्यय। कम से कम 5 प्रतिभागियों का समूह।
iii)	भारत से बाहर	6,00,000	100	6,00,000 परियोजना के आधार पर वास्तविक आधार पर वायु/रेल यात्रा लागत की 100 प्रतिषत।
C)	एकीकृत पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट			
1.	पैक हाउस/खेत पर संग्रहण और भण्डारण यूनिट	4,00,000	50	2,00,000 प्रो–राटा आधारित 9 मीटर ग 6 मीटर आकार पर पूंजीगत लागत का 50 प्रतिषत सब्जी/फल ग्रोवर के लिए कम से कम 1 है0 क्षेत्र होना जरूरी है। संरक्षित खेती के लिए 2000 वर्ग मीटर से ज्यादा क्षेत्र तथा मषरूम ग्रोवर के लिए कम से कम 2 क्विंटल प्रति दिन उत्पादन होना जरूरी है।
2.	एकीकृत पैक हाउस कन्वेयर बेल्ट, छंटाई, ग्रेडिंग ईकाई, धोने, सुखाने तथा माप तोल सुविधा के साथ (आकार 9 मी ग 18 मी)	50,00,000	35 से 50	17,50,000 से केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी 25,00,000 सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
3.	प्री–कूलिंग यूनिट (क्षमता 6 एम.टी)	25,00,000	35 से 50	8,75,000 से केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी 12,50,000 सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
4.	कोल्ड रूम (स्टैगिंग) (क्षमता 30 एम.टी)	15,00,000	35 से 50	5,25,000 से केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी 7,50,000 सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
5.	मोबाईल प्री–कूलिंग यूनिट	25,00,000	35 से 50	8,75,000 से केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी 12,50,000 सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।

6.	कोल्ड स्टोरेज यूनिट (निर्माण/विस्तार/आधुनिकीरण)				
(i)	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाईप–I – बुनियादी मेजेनाइन संरचना के साथ बडे कक्ष (झ 250 एम.टी) के आकार के साथ एकल तापमान जोन	4,00,00,000	35 से 50	1,40,00,000 से 2,00,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
(ii)	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाईप–II – मल्टी तापमान तथा उत्पाद के उपयोग के लिए पी.ई.बी संरचना, अधिक से अधिक 6 कक्ष (ढ 250 एम.टी) तथा आधारभूत सामग्री हैंडलिंग उपकरण	5,00,00,000	35 से 50	1,75,00,000 से 2,50,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा 50 प्रतिषत पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
(iii)	कोल्ड स्टोरेज यूनिट टाईप–II के साथ नियंत्रित वातावरण के लिए प्रोद्योगिकी जोड कर	10,00,00,000	35 से 50	3,50,00,000 से 5,00,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
7.	प्रोद्योगिकी प्रेरण तथा कोल्ड	2,50,00,000	35 से 50	87,50,000 से 1,20,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत। पी.एल.सी उपकरण, पैकेजिंग लाइनों, डोक लेवलर, उन्नत ग्रेडर, वैकल्पिक प्रोद्योगिकी, स्टैकिंग प्रणाली, इन्सूलेषन का आधुनिकीकरण तथा रेफरीजरेषन का आधुनिकीकरण चेन का आधुनिकीकरण
8.	रेफरीजिरेटिड परिवहन वाहन (क्षमता 9 एम.टी)	26,00,000	35 से 50	9,10,000 से 13,00,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।
9.	प्राथमिक/मोबाईल/न्यूनतम प्रसंस्करण यूनिट	25,00,000	40 से 55	10,00,000 से 13,75,000	क्रेडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत।

10.	पकाने वाला (राईपनिंग) चैम्बर (अधिकतम 300 एम.टी प्रति लाभार्थी)	1,00,000/MT	35 से 50	35,000 से 50,000 per MT	केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडीसामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र के लिए अधिकतम 300 एम.टी प्रति लाभार्थी।
11.	इवैपोरेटिव/कम उर्जा वाला षीत चैम्बर (8 एम.टी.)	5,00,000	50	2,50,000	सी.आई.पी.ई.टी की दिषानिर्देषानुसार।
12.	परिरक्षण यूनिट (कम लागत)				
a)	नई इकाई	2,00,000	50	1,00,000	सी.आई.पी.ई.टी की दिषानिर्देषानुसार।
b)	अप–ग्रेडेषन	1,00,000	50	50,000	सी.आई.पी.ई.टी की दिषानिर्देषानुसार।
13.	कम लागत प्याज भण्डारण ढांचा (25 एम.टी.)	1,75,000	50	87,500	सी.आई.पी.ई.टी की दिषानिर्देषानुसार।
14.	पूसा षून्य उर्जा ठण्डा ढांचा (100 किलोग्राम)	4,000	50	2,000	सी.आई.पी.ई.टी की दिषानिर्देषानुसार।
15.	एकीकृत कोल्ड चेन की आपूर्ति प्रणाली (सी के उपरोक्त 1 से 13 में से कम से कम दो मद)	6,00,00,000	35 से 50	2,10,00,000	केडिट लिंकड बैक एंडिड सब्सीडी सामान्य क्षेत्र में परियोजना की लागत का 35 प्रतिषत तथा पहाडी व सूचिबद्ध क्षेत्र में लागत का 50 प्रतिषत प्रति लाभार्थी। अधिकतम लागत रूपये 600 लाख।
D	बागवानी उत्पाद के लिए विपणन बुनियादी ढांचे की स्थापना				
1	टर्मिनल मार्केट	1,50,00,00,000	25 से 40	50,00,00,000	सार्वजनिक–नीजि भागीदारी के रूप में प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, अलग से जारी दिषा निर्देषानुसार (रूपये 50 करोड तक सीमित)
2	थोक मार्केट	1,00,00,00,000	25 से 33.33	25,00,00,000 से 33,33,00,000	केडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान। सामान्य क्षेत्र में 25 प्रतिषत परियोजना की लागत और पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्र में 33.33 प्रतिषत प्रति लाभार्थी।
3	ग्रामीण बाजार/अपनी मण्डी /सीधे मार्केट	25,00,000	40 से 55	10,00,000 से 13,75,000	केडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान। सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिषत परियोजना की पूंजी लागत और पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्र में 55 प्रतिषत प्रति लाभार्थी।
4	खुदरा बाजार/आउटलेट (पर्यावरण नियंत्रित)	15,00,000	35 से 55	5,25,000 से 7,50,000	केडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान। सामान्य क्षेत्र में 35 प्रतिषत परियोजना की पूंजी लागत और पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिषत प्रति लाभार्थी।
5	स्टेटिक/मोबाईल वेंडिंग कार्ट/प्लैटफार्म षीत कक्ष	30,000	50	15,000	...

	के साथ (प्रति ईकाई)			6,00,000 से 8,25,000	क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान। सामान्य क्षेत्र में 40 प्रतिषत परियोजना की पूंजी लागत और पहाडी एवं अनुसूचित क्षेत्र में 55 प्रतिषत प्रति लाभार्थी।
6	कार्यात्मक इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए				
(i)	संग्रह, छंटाई/ग्रेडिंग, पैकिंग ईकाईयों आदि	15,00,000	40 से 55		
(ii)	गुणवत्ता नियंत्रण/विषलेशण प्रयोगषाला	2,00,00,000	50 से 100	1,00,00,000 से 2,00,00,000	क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 100 प्रतिषत कुल लागत तथा नीजि क्षेत्र के लिए कुल लागत का 50 प्रतिषत।
7	ग्रेविटी पहाडी क्षेत्रों में रोप संचालित	15,00,000	50	7,50,000	क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडिड अनुदान। पहाडी क्षेत्र के लिए परियोजना की पूंजी का 50 प्रतिषत।
E	विशेश हस्तक्षेप				
a)	हाईब्रिड सब्जी की खेती – ट्रेलिस प्रणाली	16,25,000	50	81,250	
b)	हाईब्रिड सब्जी सीडलिंग उत्पादन (दर प्रति पौधा)	8	25	2	
F	मिशन प्रबंधन				
I	राज्य स्तर				
1	राज्य तथा जिला मिषन कार्यालय और कियान्वयन एजेंसियां प्रषासनिक ब्ययों, फील्ड परामर्षे, परियोजना, तैयार, कम्प्यूटरीकरण, आकस्मिकता आदि हेतू				राज्य बागवानी मिषन (एस.एच.एम)/ कियान्वयन एजेंसियों की आवष्यकता के आधार पर कुल वार्शिक व्यय का 5 प्रतिषत।
2	संस्थागत सुदृढीकरण – वाहनों को किराए पर लिया जाना, हार्डवेयर/साफटवेयर आदि की खरीद				परियोजना आधारित
3	संगोश्ठियां, सम्मेलन, कार्यषालाएं, प्रदर्षनियां, किसान मेला, बागवानी शो, षहद महोत्सव आदि				

a)	राज्य स्तर	3,00,000	100	3,00,000	2 दिन के कार्यक्रम के लिए
b)	जिला स्तर	2,00,000	100	2,00,000	2 दिन के कार्यक्रम के लिए
4	प्रचार, मुद्रित साहित्य के माध्यम से सूचना का विस्तार (प्रति ब्लॉक)	40,000	100	40,000	30 ब्लॉकों के लिए
5	आई.टी नेटवर्क के माध्यम से सांझा करने के लिए इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रोद्योगिकी पैकेज का विकास (प्रति जिला)	1,00,000	100	1,00,000	18 जिलों के लिए
6	राज्य स्तर पर तकनीकी सहायता समूह (टी.एस.जी) के लिए विषेशज्ञों/ कर्मचारियों, अध्ययन, निगरानी, मूल्यांकन, मास मीडिया, प्रचार वीडियो सम्मेलन आदि के लिए (प्रति वर्श)	50,00,000	100	50,00,000	परियोजना आधारित
7	किसान उत्पादक संगठन (एफ.पी.ओ) की पदोन्नति/ किसान इच्छुक समूह (एफ.आई.जी) – 5 एम.पी.ओ 3 वर्श के लिए	1,76,30,000	100	1,76,30,000	एस.एफ.ए.सी के नियमानुसार –सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और जींद जिले में।
8	बागवानी सांख्यिकी डाटा के आधारभूत ढांचे के सुदृढिकरण के लिए बेसलाईन सर्वेक्षण	50,00,000	100	50,00,000	

राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन

उदेश्य

- कुल 90 प्रतिशत अनुदान – 40 प्रतिशत केन्द्र सरकार, 50 प्रतिशत राज्य सरकार।
- सभी वर्ग के कृ ाक शामिल व प्रति लाभार्थी परिवार को पांच हेक्टेयर तक सहायता।
- पंजीकृत की गई किसी भी कंपनी से बाजार भाव से लाभार्थी को प्रणाली स्थापित करवाने की सुविधा।
- विक्रय के बाद तीन व र्ा तक सर्विस मुफत में पदान करने का प्रावधान।
- प्रचार अभियान के अलावा जल संरक्षण तथा प्रबंधन के महत्व के बारे में कृ ाकों के बीच जागरूकता बढाने और तकनीकी ज्ञान बढान के लिए विभिन्न स्थानों पर सेमिनार/कार्यशाला के आयोजन का प्रावधान।
- कंपनी द्वारा लागत का आंकलन तैयार करने की सुविधा।
- यह मिशन हरियाणा राज्य के सभी जिलों में कियान्वित है।

टपका सिंचाई प्रणाली

	(राशि रूपये में, क्षेत्र हैक्टेयर में)				
लेटरल स्पेसिंग (एमxएम)	क) ज़्यादा दूरी की फसलों के लिए				
	1 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	3 हेक्टेयर	4 हेक्टेयर	5 हेक्टेयर
10 मी0	18300	28100	43850	54550	70100
9 मी0	20900	33100	51425	64325	82150
8 मी0	23500	38100	59000	74100	94200
7 मी0	26100	43100	66575	83875	106250
6 मी0	28700	48100	74150	93650	118300
5 मी0	31300	53100	81725	103425	130350
4 मी0	33900	58100	89300	113200	142400
3 मी0	46150	83050	125550	166900	206950
2 मी0	58400	108000	161800	220600	271500

B. कम दूरी की फसलों के लिए

1.9 मी0	61775	114663	172000	234625	289163
1.8 मी0	65150	121325	182200	248650	306825
1.7 मी0	68525	127988	192400	262675	324488
1.6 मी0	71900	134650	202600	276700	342150
1.5 मी0	75275	141313	212800	290725	359813
1.4 मी0	78650	147975	223000	304750	377475
1.3 मी0	82025	154638	233200	318775	395138
1.2 मी0	85400	161300	243400	332800	412800
1.2 मी0 से कम	100000	193500	292100	399400	495400

60 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता

	(राशि रूपये में, क्षेत्र हैक्टेयर में)				
लेटरल स्पेसिंग (एमxएम)	क) ज़्यादा दूरी की फसलों के लिए				
	1 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	3 हेक्टेयर	4 हेक्टेयर	5 हेक्टेयर
10 मी0	10980	16860	26310	32730	42060
9 मी0	12540	19860	30855	38595	49290
8 मी0	14100	22860	35400	44460	56520
7 मी0	15660	25860	39945	50325	63750
6 मी0	17220	28860	44490	56190	70980
5 मी0	18780	31860	49035	62055	78210
4 मी0	20340	34860	53580	67920	85440
3 मी0	27690	49830	75330	100140	124170
2 मी0	35040	64800	97080	132360	162900

ख) कम दूरी की फसलों के लिए

1.9 मी0	37065	68798	103200	140775	173498
1.8 मी0	39090	72795	109320	149190	184095
1.7 मी0	41115	76793	115440	157605	194693
1.6 मी0	43140	80790	121560	166020	205290
1.5 मी0	45165	84788	127680	174435	215888
1.4 मी0	47190	88785	133800	182850	226485
1 3 मी0	49215	92783	139920	191265	237083
1.2 मी0	51240	96780	146040	199680	247680
1.2 मी0 से कम	60000	116100	175260	239640	297240

70 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता

	(राशि रूपये में, क्षेत्र हैक्टेयर में)				
लेटरलस्पेसिंग (एमxएम)	क) ज़्यादा दूरी की फसलों के लिए				
	1 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	3 हेक्टेयर	4 हेक्टेयर	5 हेक्टेयर
10 मी0	12810	19670	30695	38185	49070
9 मी0	14630	23170	35998	45028	57505
8 मी0	16450	26670	41300	51870	65940
7 मी0	18270	30170	46603	58713	74375
6 मी0	20090	33670	51905	65555	82810
5 मी0	21910	37170	57208	72398	91245
4 मी0	23730	40670	62510	79240	99680
3 मी0	32305	58135	87885	116830	144865
2 मी0	40880	75600	113260	154420	190050

ख) कमदूरी की फसलों के लिए

1.9 मी	43243	80264	120400	164238	202414
1.8 मी0	45605	84928	127540	174055	214778
1.7 मी0	47968	89591	134680	183873	227141
1.6 मी0	50330	94255	141820	193690	239505
1.5 मी0	52693	98919	148960	203508	251869
1.4 मी0	55055	103583	156100	213325	264233
1.3 मी0	57418	108246	163240	223143	276596
1.2 मी0	59780	112910	170380	232960	288960
1.2 मी0 से कम	70000	135450	204470	279580	346780

मिनीस्प्रिंकलरप्रणाली: अनुमानित लागत

लेटरल स्पेसिंग (मी.xमी.)	(राशि रूपये में, क्षेत्र हैक्टेयर में)				
	1 है0	2 है0	3 है0	4 है0	5 है0
10 मी0	85200	170400	255600	340800	426000

70 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता

लेटरल स्पेसिंग (मी.xमी.)	(राशि रूपये में, क्षेत्र हैक्टेयर में)				
	1 है0	2 है0	3 है0	4 है0	5 है0
10 मी0	59640	119280	178920	238560	298200

60 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता

लेटरल स्पेसिंग (मी.xमी.)	(राशि रूपये में, क्षेत्र हैक्टेयर में)				
	1 है०	2 है०	3 है०	4 है०	5 है०
10 मी0	51120	102240	153360	204480	255600

परियोजना खेती के तहत सिंचाई/फोगिंग/मिस्टींग प्रणाली

क0 सं0	ब्यौरा	सांकेतिक लागत		अधिकतम सहायता सीमा 90 प्रतिशत लागत पर	
		504 वर्गमीटर	100 वर्गमीटर	504 वर्गमीटर	100 वर्गमीटर
1.	ग्रीन हाउस/पॉली हाउस a) उच्च लागत b) वास्तविक	63250	24150	56925	21735
2.	शेड नेट हाउस	51750	20700	46575	18630

राष्ट्रीय औष्धीय पादप मिशन

क0 सं0		कार्यक्रम (रूपये लाखों में)	अनुमानित लागतस्वीकार्य सहायता
1	नर्सरी रोपण सामग्री का उत्पादन क) पब्लिकसेक्टर **i)** मॉडलनर्सरी (4 हेक्टेयर)	20.00	अधिकतम 20.00 लाख रूपये
	ii) लघुनर्सरी (1 हेक्टेयर)	4.00	अधिकतम 4.00 लाख रूपये
	ख) निजी सेक्टर **i)** मॉडलनर्सरी (4 हेक्टेयर)	20.00	10.00 लाख रूपये सीमित लागत तक का 50 प्रतिशत
	ii) लघुनर्सरी (1 हेक्टेयर)	4.00	2.00 लाख रूपये सीमित लागत तक का 50 प्रतिशत
2	खेती **i) AYUSH industry** द्वारा प्रजातियां जो अत्यधिक खतरे में और उच्च मांग		खेती की लागत का 75 प्रतिशत

	ii) खतरे में पडी प्रजाती तथा आपूर्ति के स्रोतों में गिरावट		खेती की लागत का 50 प्रतिशत
	iii) आयूष उद्योग द्वारा मांग की गई प्रजाति तथा निर्यात के लिए		
	iv) 93 संयत्रों के लिए अनुदान का भारी औसत		खेती की लागत का 30 प्रतिशत
3	तुड़ाई/कटाई उपरांत फसल प्रबंधन		
	क) सूखे शेड	5.00	एस.एच.जी/सहकारिता/ सार्वजनिक क्षेत्र पर 100 प्रतिशत की सहायता तथा निजि क्षेत्र पर 50 प्रतिशत की सहायता
	ख) भण्डारण गोदाम	5.00	एस.एच.जी/सहकारिता/ सार्वजनिक क्षेत्र पर 100 प्रतिशत की सहायता तथा निजि क्षेत्र पर 50 प्रतिशत की सहायता
4	प्रसंस्करण तथा मूल्य वृद्धि		
	क) प्रोसैसिंग यूनिट	200.00	50.00 रूपये पर परियोजना लागत का 25 प्रतिशत
	ख) परीक्षण प्रयोगशालाओं की	100.00	30.00 रूपये पर परियोजना लागत का 30 प्रतिशत स्थापना
	ग) बाजार को बढावा देना	50.00	परियोजना अधारित का 50 प्रतिशत
	घ) बाजार आसूचना	परियोजना अधारित	परियोजना अधारित
	ड) वापिस हस्तक्षेप खरीदना	परियोजना अधारित	परियोजना अधारित
	च) विपणन बुनियादी सुविधाएं:	. ग्रामीण मंडी के लिए – 10.00 लाख रूपये	परियोजना आधारित। एस.एच.जी/सार्वजनिक/ सहकारिता के लिए 100 प्रतिशत की सहायता।.

	जिला मंडी के लिए – 20.00 लाख रूपये
छ) परीक्षण शुल्क/ प्रतिपूर्ति	5,000/– रूपये के लिए परीक्षण शुल्क का 50 प्रतिशत
ज) कार्बनिक गैप/ प्रमाणन	50 हेक्टेयर के एन.एच.एम लिए 50.00 रूपये
झ) फसल बीमा	प्रीमियम का 50 प्रतिशत

अन्य बागवानी योजनाएं

1. कृषि मानव संसाधान विकास (AHRD : Agriculture Human Resources Development)

उदेश्य

- मीडिया के रूप में कार्य करते हुए नई बागवानी तकनीकी को बढावा देना।
- अधिकारियों/कर्मचारियों तथा किसानों को बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकी के लिए प्रशिक्षण देना।
- किसानों को नई तकनीक की ओर हस्तांतरित करना।
- बागवानी अधिकारी तथा किसानों के बीच संवादहिनता को कम करना।
- हरियाणा राज्य के ग्रामीण जनता के लिए स्वंय रोजगार तथा विस्तार सेवाओं को मजबूत बनाना।

क0 सं0	कार्यकम	विवरण	स्वीकार्य सहायता	रिमार्कस
1	सुपरवाईजर के तौर पर एक व र्षीय डिप्लोमा कोर्स	इस कोर्स के लिए संस्थान में 25 सिटें उपलब्ध हैं। यह एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स है तथा इस कोर्स के लिए प्रार्थी को 10+2 पास होना चाहिए।	प्रति विद्यार्थी 1,500/– वजीफा	कोर्स का दाखिला सितम्बर माह उपरान्त (व र्ष में दो बार)
2	माली के तौर पर 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स	इस कोर्स के लिए प्रार्थी को 8वीं पास होना चाहिए तथा इस कोर्स के लिए संस्थान में 25 सिटें उपलब्ध हैं। यह एक सर्टिफिकेट कोर्स है।	कोर्स के लिए 1,500/– वजीफा	कोर्स का दाखिला : सितम्बर माह उपरान्त

नोट:

दाखिले व अन्य जानकारी के लिए निम्नलिखित पते पर सम्पर्क किया जा सकता है :
प्रधानाचार्य, उद्यान प्रशिक्षण संस्थान (Horticulture Training Institute), उचानी, करनाल – 132001, हरियाणा।

दूरभा ा : 0184–2265484, फैक्स : 0184–2265484

1.एकीकृत बागवानी विकास (IHD : Integrated Horticulture Development)

गतिविधियॉं

1. योजना नान-एन.एच.एम. जिले जैसे कि कैथल, रिवाडी तथा फरीदाबाद में लागू।
2. अनुदान पूर्णत: एन.एच.एम योजना के मदों एवं मापदण्डों पर।

सुविधाएं

1. अनुदान के लिए एन.एच.एम के अन्तर्गत मदों को देखने का कष्ट करें।

1. अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए समेकित बागवानी विकास योजना (SCSP)

एस.सी.एस.पी

अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मुख्य स्कीम

- अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी फसलों को विविधीकरण के विकल्प के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- बागवानी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के किसानों को नई तकनीकी के बारे में परिचित करना।
- विभिन्न बागवानी फसलों को अपनाकर अनुसूचित जाति के किसानों की भूमि की आय को बढाना

क्र स	कार्यक्रम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	स्वीकार्य सहायता
1	सब्जीमि– निकिट्स	600/– प्रतिमिनिकिट	100 प्रतिशत
2	कंद फसल रतालू	0.5 एकड़ पर 40000/–प्रति यूनिट	100 प्रतिशत
3	प्लास्टि करेट्स	230/–प्रति करेट	80 प्रतिशत (184/–प्रति करेट एवं 50 करेटप्रति लाभार्थी)
4	नई मशरूम इकाई	30000/–प्रति इकाई	90 प्रतिशत (27000/–प्रति इकाईप्रति लाभार्थी)
5	मशरूमट्रेस (1 ट्रे = 3 बैग)	210/–प्रतिट्रे	90 प्रतिशत (189/–प्रति ट्रे 100 ट्रेसप्रति लाभार्थी)
6	प्रशिक्षण	15000/–प्रति प्रशिक्षण	40 लाभार्थी प्रति प्रशिक्षण

1. बागवानी फसल बीमा योजना (HCIS : Horticulture Crop Insurance Scheme)

उदेश्य :

- यह योजना सभी प्रकार के किसानों के लिए उपलब्धा है।
- प्रतिकूल मौसम के निम्नलिखित अवयकों से नुकसान पर बीमा:
- अधिकतम वर्षा, कम वर्षा, ओलावृष्टि, कोहरा, तापमान, आंधी।
- वर्ष 2014–15 में कृषि बीमा योजना कम्पनी, आई.सी.आई.सी.आई., लोम्बार्ड व अन्य कम्पनियों द्वारा लागू की जाएगी।
- बीमित फसल के कुल प्रीमियम से 50 प्रतिशत किसान द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत राज्य व केन्द्रीय सरकार 50:50 शेयर आधाार पर दिया जाएगा।
- सभी वित्तीय दायित्व केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया जाएगा।

1. उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम रेशम उत्पादन (CDP :)

क्र0 सं0	मद का नाम	इकाई	इकाई लागत (एकड़ में)	स्वीकार्य सहायता
1	शहतूत बागान के लिए सहायता (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (50 : 25 : 25)	300 पौधे प्रति एकड़ = एक इकाई	14000 रू0	
2	शहतूत पौधारोपण रखरखाव (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (50 : 25 : 25)	300 पौधे प्रति एकड़ = एक इकाई	4500 रू0	
3	रियरिंग मकान बनाने के लिए 50 डी.एफ.एल. की सहायता (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (35 : 35 : 30)	15x15x 10-12 फीट	75,000 रू0	प्रति लाभार्थी एक
4	रियरिंग उपकरणों की आपूर्ति (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (50 : 25 : 25)	1 एकड़ (50 डी.एफ.एल)	40,000 रू0 1,00,000 रू0	50 डी.एफ.एल. प्रति एकड़
5	रेशम कीटपालन के लिए प्रचार (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (50 : 50 : 0)			
6	किसानों के लिए प्रशिक्षण (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (50 : 50 : 0)	Nos	60,000 रू0	
7	किसानों के लिए एक्पोजर विजिट (सी.एस.बी. : राज्य : लाभार्थी) (50 : 50 : 0)	Nos	30,000 रू0	
8	वर्कशॉप / सेमीनार (सी.एस.बी. 100 प्रतिशत)	Nos	50,000 रू0	
9	रेशम साथी के लिए सहायता (3 महीने बसंत कालीन फसल तथा 3 महीने ऑटम फसल के लिए) (सी.एस.बी. 100 प्रतिशत)	Nos	48,000 रू0	
10	सार्वजनिक क्षेत्र में चौकी रियरिंग सेंटर तथा रियरिंग उपकरणों की खरीद (सी.एस.बी. : राज्य) (35 : 65)	Nos	4,00,000 रू0	

11	सार्वजनिक क्षेत्र में हॉट एयर ड्रायर 50 किलो क्षमता की यूनिट (विद्युतचालित) (सी.एस.बी. : राज्य) (50 : 50)	Nos	1,34,000 रू0

8.राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

क्र. स.	कार्यक्रम	अनुमानितलागत (रू0 लाख में)	स्वीकार्यसहायता
1	सब्जियों के सुलभ परिवहन के लिए प्लास्टिक करेट्स	300/–प्रतिकरेट	50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 150/–प्रतिकरेट, अधिकतम सीमा 50 प्लास्टिक करेट्स प्रति लाभार्थी
2	सब्जियों की विशेष भण्डारण हेतू नालीदार गत्ते के डिब्बे	16/–प्रतिडिब्बा	50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 8/–प्रतिडिब्बा, अधिकतम सीमा 100 डिब्बा
3	फलों के भण्डारण हेतू नालीदार गत्ते के डिब्बे	30/–प्रतिडिब्बा	50 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 15/–प्रतिडिब्बा, अधिकतम सीमा 1000 डिब्बा
4	खुम्ब उत्पादन	220/–प्रतिट्रे	50 प्रतिशत अनुदान 110/–प्रतिट्रे, अधिकतम सीमा 1100/–प्रति लाभार्थी
5	मशरूम कम्पोस्टटर्निंग	7.0लाख रूपये प्रति यूनिट	50 प्रतिशत अनुदान (350000/–प्रति समूह)
6	संकर सब्जियों की फसल की सटैगिंग बार`परियोजना	156250/– प्रति है0	40 प्रतिशत अनुदान 62500/–प्रति है0
7	बागवानी फसलों के लिए सूर्यउर्जा से चलने वाले पानी के पम्प		
	2 एच.पी.	200000/–प्रति यूनिट	40 प्रतिशत अनुदान 80000/–प्रति यूनिट
	4.6 एच.पी.	600000/–प्रति यूनिट	40 प्रतिशत अनुदान 240000/–प्रति यूनिट
8	संरक्षित बागवानी (ढांचा संरचना)	935/–प्रति वर्गमीटर	50 प्रतिशत अनुदान 467.50 रूपये प्रतिवर्ग मीटर अधिकतम सीमा 4000 वर्गमीटर
9	संरक्षित ढांचे में उगाई जाने वाली फसल	140/–प्रतिवर्ग मीटर	50 प्रतिशत अनुदान 70 रूपये प्रति वर्गमीटर
10	रेशम कीट पालन पर प्रशिक्षण व प्रर्दशनकेंद्र, पंचकूला में स्थापना	468000/-प्रति यूनिट	सरकारी संस्थान के लिए 100 प्रतिशत अनुदान

3. पशुपालन एवं डेयरी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

केन्द्र तथा राज्य सराकार द्वारा प्रायोजित अनेक योजनाएं राज्य में किसानों के लाभ के लिए पशुपालन एवं डेरी विभाग द्वारा लागू की जा रही हैं। ये योजनाएं तथा इसके अंतर्गत किसानों को मिलने वाला अनुदान/ प्रोत्साहन इस प्रकार हैं:

1 समेकित मुर्रा विकास योजना

श्रेष्ठ जननद्रव्य के प्रवर्धन तथा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए पशु स्वामियों को निम्नानुसार नकद प्रोत्साहन दिए जाते हैं:

प्रतिदिन 25 किग्रा या इससे अधिक दूध देने वाली भैंस के लिए 25,000 रूपये का प्रोत्साहन।

प्रतिदिन 19-25 किग्रा दूध देने वाली भैंस के लिए 15,000 रूपये का प्रोत्साहन।

प्रतिदिन 16-19 किग्रा दूध देने वाली भैंस के लिए 10,000 रूपये का प्रोत्साहन।

प्रतिदिन 13-16 किग्रा दूध देने वाली भैंस के लिए 5,000 रूपये का प्रोत्साहन।

यह प्रोत्साहन वर्ष में एक बार तथा अधिक से अधिक 3 वर्षो के लिए प्रति भैंस दिया जाता है। इस नकद प्रोत्साहन के बदले पशु स्वामी को यह वचन देना होता है (हलफनामे के द्वारा) कि वह उस भैंस और उसके कटड़े को कम से कम 1 वर्ष तक नहीं बेचेगा/बेचेगी। इसके साथ ही वह कटड़े की देखभाल करने के लिए बाध्य होगा ओर विभाग को उस कटड़े को खरीदने का पहला अधिकार होगा।

2. ग्रामीण शिक्षित/अर्ध-शिक्षित युवाओं/महिलाओं/विधवाओं को डेयरी विकास के माध्यम से विशेष रोजगार के अवसर

अर्ध-शिक्षित बेरोजगार युवाओं/महिलाओं, अनुसूचित जाति के परिवारों,

पूर्व सैनिकों, पिछड़े वर्ग के लोगों तथा विधवाओं को ग्रामीण ओर शहरी, दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2,3 ओर 5 दुधारू पशुओं की छोटी डेयरी इकाइयां स्थापित करने के लिए यह योजना लागू की जा रही हैं, ताकि इस वर्ग के लोग अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकें और साथ ही शहरी/ग्रामीण छोटे/सीमांत तथा भूमिहीन मजदूर भी लाभान्वित हो सकें। 2/3/5/10 पशुओं की डेयरी इकाइयों की स्थापना पर 25 प्रतिशत तक की वित्तीय सहायता दुधारू पशुओं की लागत (दुधारू पशु की अधिकतम लागत 60,000 रूपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो अधिक से अधिक लागत का 25 प्रतिशत होती है। इसके अतिरिक्त बीमे की किस्त का 50 प्रतिशत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

3 पशुधन इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रोजगार अवसरों की योजना

हरियाणा में अनुसूचित जाति के परिवारों को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए बेरोजगार पुरूषों/महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए पशुधन योजना लागू की जा रही है।

3.1 दो दुधारू पशुओं की डेयरी की स्थापना

पशुधन योजना के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार दो पशुओं की डेयरी इकाई की लागत के रूप में 1,20,000/-रूपये (प्रति पशु 60,000 रूपये) का अनुदान दिया जाता है। पूरे बीमे की किस्त सरकार द्वारा अदा की जाती है।

3.2 सूअर इकाई की स्थापना

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को 25 प्रतिशत प्रति इकाई (यॉर्कशायर नस्ल के 3 सूअरी और 1 सूअर) की दर से अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम

राशि 10,000 रूपये होती है। पूरे बीमे की किस्त सरकार द्वारा दी जाती है।

3.3 भेड़ इकाई की स्थापना

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों को 25 प्रतिशत प्रति इकाई (नाली नस्ल के 20 भेड़ें और 1 भेड़ा) की दर से अनुदान दिया जाता है जिसकी अधिकतम राशि 13,500 रुपये होती है। पूरे बीमे की किस्त सरकार द्वारा दी जाती है।

4 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत योजनाएं

4.1 अग्रणी पशु प्रजनकों के लिए पुरस्कार तथा अध्ययन दौरे

प्रगतिशील किसानों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र या सफल पशुपालको तक ले जाने के लिए अध्ययन दौरों का आयोजन किया जाता हैं दौरों के व्यय की ऊपरी सीमा में यात्रा, आवास एवं भोजन आदि के लिए प्रति किसान 2,000 रुपये दिए जाते हैं। राज्य के पशु प्रजनको के बीज गुणवत्तापूर्ण पशुओं को पालने में प्रतिस्पर्धा की भावना लाने के लिए डिवीजनल और राज्य स्तर पर 'सर्वश्रेष्ठ पशु प्रजनकों' को नकद पुरस्कार/अवार्ड देने का प्रस्ताव है। राज्य तथा प्रभावी स्तर पर पशुधन प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं जिनमें से 4 डिवीजनल स्तर के और 1 राज्य स्तर का होता है। इन प्रदर्शनों में भाग लेने वाले किसान नवीनतम प्रौद्योगिकियों तथा नई – नई खोजों से अवगत होते हैं।

4.2 प्रोटीन की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास मिशन के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम

इस योजना क अंतर्गत प्रगतिशील डेयरी किसानों को 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता हैं।

विभिन्न घटकों के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रस्तावित अनुदान का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.	घटक	योजना के अंतर्गत अनुदान	
		भारत सरकार	टिप्पणियां
1.	25 या इससे कम दुधारु पशुओं के लिए 50,000 रुपये प्रत्येक पशु की दर से	25%	केवल ऋण से सम्बद्ध
2.	दुधारू पशुओं का बीमा (आरंभिक 3 वर्ष के लिए)	50%	ऋण या स्व-वित्त
3.	गौशाला (नई के लिए) ऋण या स्व-वित्त 6.00 लाख रुपये तथा मरम्मत/विस्तार के लिए 4.00 लाख रुपये	25%	
4.	5.00 लाख रुपये तक ऋण या स्व-वित्त के मूल्य के डेरी उपकरण	25%	

5. खुरपाका व मुंहपका रोग नियंत्रण कार्यक्रम

खुरपका व मुंहपका रोग के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान से बचने के लिए तथा रोग के प्रति पशुओं में रोधिता उत्पन्न् करने के लिए गोपशुओं, भैंसों, सूअरों, भेड़ों और बकरे-बकरियों आदि का टीकाकरण करने के लिए खुरपका व मुंहपका नियंत्रण कार्यक्रम लागू चल रहा है। हरियाणा में यह कार्यक्रम सभी जिलों में लागू किया गया है।

6. राज्य गोपशु प्रदर्शनी

राज्य स्तर पर प्रतिवर्ष पशु प्रदर्शनियां भी आयोजित की जाती हैं। इन प्रदर्शनियों के आधार पर पशुओं के प्रत्येक वर्ग से 3 पशु विशेषज्ञ पैनल द्वारा चुने जाते हैं और इनके स्वामियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाते हैं। वर्ष 2010 - 11 के दौरान मुर्रा भैंस और हरियाणा गांव को विशेषज्ञ पैनल में सर्वश्रेष्ठ घोषित किया और प्रदर्शनी में इन वर्षों के श्रेष्ठ पशुओं को, प्रत्येक को, 1.00 लाख रुपये का पुरस्कार दिया गया। चैम्पियन श्रेणी का पुरस्कार 21,000 रुपये से 51,000 रुपये तक दिया जाता है।

चैम्पियन नस्ल	पुरस्कार की राशि (रुपयों में)
मुर्रा	11000
हरियाणा	11000
साहिवाल	11000
विदेशी	11000

7. कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा

यह सुविधा प्रत्येक पशुपालन को पशुचिकित्सालय में 30/- रुपये के प्रभार पर जबकि पशुपालक के घर पर 100/- रुपये के प्रभार पर उपलब्ध कराई जाती है।

8. रोगों के नियंत्रण के लिए टीकाकरण

इस कार्यक्रम के अंतर्गत पशुओं को एच.एस., एंटेरोटैक्सिमिया (ई.टी.वी.), भेड़ की चेचक, पीपीआर, शूकर ज्वर आदि जैसी महाबिमारियों से पूरी तरह छुटकारा दिलाने के लिए नि:शुल्क टीकाकरण किया जाता है।

9. पशु स्वास्थ्य की सुविधाएं

इस योजना के अंतर्गत पशु स्वामियों के लाभ के लिए प्रत्येक ब्लाक स्तर पर पशुचिकित्सालय की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं।

10. स्वास्थ्य शिविर/वंध्यता शिविर

उपरोक्त सुविधाओं के अतिरिक्त पशुओं को स्वस्थ रखने तथा उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता पहुंचाने के लिए समय-समय पर पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक पशु चिकित्सालय में दो या इससे अधिक चिकित्सकों, विशेषकर शल्य चिकित्सा के विशेषज्ञ चिकित्सकों व चिकित्सा से इतर स्टाफ के दल द्वारा ये शिविर आयोजित किए जाते हैं।

'नाबार्ड' चिन्हित बैंकों के माध्यम से प्रति भैंस 50,000/- रुपये का ऋण भैंसों को खरीद के लिए देता है। इस योजना के अंतर्गत किसान से 2 से 25 भैंसें खरीद सकते हैं। ऋण की अधिकतम राशि 12.50 लाख रुपये है। सामान्य श्रेणी के किसानों को 25% और अनुसूचित जाति के किसानों को 33% अनुदान दिया जाता है।

टिप्पणी : अनुदान, संबंधित जिले द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार दी गई मदों की संख्या पर वित्त वर्ष में दिया जाता है।

सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का उपनिदेशक (पशुपालन)

12 मुख्यमन्त्री ग्रामीण दुधारू पशुधन सुरक्षा योजना

विभाग द्वारा राज्य में पशुधन का बीमा राज्य सरकार, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड तथा भारत सरकार की वित्तीय सहायता से कार्यन्वित है। परन्तु इसके अतिरिक्त एक ऐसी योजना तत्काल आरम्भ करने की आवश्यकता थी जिसके अन्तर्गत समूचे हरियाणा प्रदेश के पशुओं में स्थायी उत्पादन एवं प्रजनन नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिये सार्वभौमिक पशुधन बीमा करवाया जा

सके। तदानुसार राज्य में मुख्यमन्त्री दुधारू पशु सुरक्षा योजना एक जनवरी, 2014 से लागू कर दी गई है। इस नई योजना का उद्देश्य राज्य के सभी पशुपालकों के उन्नत दुधारू पशु (गाय, भैंस) जो 7.5 लीटर या उससे ज्यादा दूग्ध उत्पादन करते हैं एवं एक साल से अधिक आयु की बकरी जोकि 0.865 लीटर दूग्ध उत्पादन करती हैं का निशुल्क बीमा किया जाता है। बीमा करवाने हेतु पशुओं का पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा जिसका शुल्क मात्र 100 रुपये गाय एवं भैंसों के लिए अथवा 25 रुपये बकरी के लिए पशुपालकों को वहन करना होगा।

13 अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए विशेष पशुबीमा योजना: –

यह पशुबीमा योजना ग्यारवी पंचवर्षीय योजना के अंतगर्त वर्ष 2007 – 08 में शुरू की गई थी यह स्कीम राज्य के अनुसूचित जाति के उन परिवारों के लिए है जो पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के परिवारों के पशुओं का बीमा किया जाता है और बीमे की किस्त सरकार द्वारा वहन की जाती है।

4. मात्स्यिकी विभाग के अंतर्गत कार्यान्वित योजनाएं

राज्य के मात्स्यिकी विभाग द्वारा किसानों के लाभार्थ केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित विभिन्न परियोजनाएं कार्यन्वित की जा रही हैं। किसानों को दिए जाने वाले अनुदान/प्रोत्साहनों सहित इन योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :

1 मत्स्य पालक विकास एजेंसी के माध्यम से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

1.1 नए मछली तालाब का निर्माण

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता से लागू की जा रही है। किसानों को एक हैक्टर का नया तालाब तैयार करने के लिए 3,00,000 रुपये की राशि दी जाती है। सामान्य किसानों को 20% और अनुसूचित जाति के 25% अनुदान दिया जाता है।

1.2 पुराने मछली तालाबों का नवीनकरण

यह योजना पुराने तालाबों के नवीनकरण में सहायक है। एक हैक्टर के तालाब के लिए किसान को 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। सामान्य किसानों को 20% और अनुसूचित जाति के किसानों को 25% अनुदान दिया जाता है।

1.3 निवेशों की खरीद

मछलियों के लिए चारा और उर्वरक खरीदने हेतु किसानों को सहायता उपलब्ध कराई जाती है। एक हैक्टर के तालाब के लिए निवेश की कुल लागत की सर्वोच्च सीमा 50,000 रुपये है। सामान्य किसानों को 20% और अनुसूचित जाति के किसानों को 25% अनुदान लिया जाता है।

1.4 नई मत्स्य हैचरियों की स्थापना

विभाग सौ लाख मछली जीरे (बीज) की क्षमता वाली नई मत्स्य हैचरी की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। हैचरी की स्थापना की लागत लगभग 15 लाख रुपये है। विभाग नई जल हैचरी स्थापित करने के लिए 10 प्रतिशत अनुदान देता है।

1.5 मछली खुराक इकाई की स्थापना

विभाग प्रति दिन 1.2 किवंटल मछली की खुराक इकाई की स्थापना के लिए

वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मछली की खुराक स्थापना की लागत लगभग 7 लाख 50 हजार रुपये है। कुल लागत का 20% अनुदान के रूप में दिया जाता है।

1.6 अलंकारिक मछली हैचरी की स्थापना

विभाग प्रति वर्ष 50 – 100 लाख अलंकारिक मछली जीरा की क्षमता वाली हैचरी की स्थापना के लिए विशेष सहायता प्रदान करता है। हैचरी की स्थापना की लागत लगभग 15 लाख रुपये है। विभाग हैचरी की स्थापना के लिए 10 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराता है।

1.7 मीठे जल की झीगा हैचरी की स्थापना

विभाग प्रतिवर्ष 50 – 100 लाख झीगा जीरा की क्षमता वाली मीठे जल की झीगा हैचरी की स्थापना के लिए वित्तिय सहायता प्रदान करता हैं । हैचरी की स्थापना की लागत लगभग 2 लाख रुपये है विभाग हैचरी की स्थापना के लिये 20 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध व्यय करता है।

2 जलाक्रांत क्षेत्र के विकास के लिए केन्द्र द्वारा योजनाएं

2.1 जलाक्रांत क्षेत्रों के लिए निवेशों की खरीद

किसानों को मछलियों के लिए चारा उर्वरकों की खरीद के लिए सहायता प्रदान करता है। एक हैक्टर तालाब के लिए सहायता की अधिकतम सीमा 75,000 रुपये है। मछली पालक किसानों को 20% अनुदान दिया जाता है।

3. लवणीय भूजल के उपयोग हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3.1 नए तालाबों का निर्माण

यह योजना बैंकों की वित्तीय सहायता के माध्यम से भी चलाई जाती है। बैंक किसानों को एक हैक्टर के नए तालाब के निर्माण के लिए 3.00 लाख रुपये का ऋण देते हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल लागत का 20% अनुदान दिया जाता है।

3.2 लवणीय जल तालाबों के लिए निवेशों की खरीद

किसान मछलियों के लिए चारा और उर्वरक खरीदते हैं। एक हैक्टर के तालाब

के लिए इस योजना में कुल एक लाख रुपये तक का प्रावधान है। मछली पालक किसानों को 20% अनुदान दिया जाता है।

4. अंत:स्थलीय प्रग्रहण मात्स्यिकी के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

विभाग नौका/गियर जाल, नाव आदि की खरीद पर 20% अनुदान उपलब्ध कराता है। इन मदों की खरीद के लिए स्वीकृत की जाने वाली राशि की अधिकतम सीमा 15 हजार रुपये है।

5. मात्स्यिकी क्षेत्र में अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए कल्याण योजनाएं

5.1 गांव के तालाबों की पट्टेदारी

मछली पालन के लिए गांव के तालाबों को पट्टे पर देने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एक हैक्टर के लिए दिए जाने वाले अनुदान की राशि 10,000 रुपये या कुल लागत का 50%, इनमें से जो भी कम हो, अनुदान की अधिकतम राशि 20,000 रुपये है।

5.2 नए तालाबों का निर्माण/पुराने तालाबों का नवीनीकरण

जिस गांव में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40% से अधिक है वहां विभाग नए पंचायत तालाब खोदता है/पुराने तालाबों का नवीनकरण करता है और यह मुफ्त किया जाता है। इसके लिए प्रति हैक्टर अधिक से अधिक 2.00 लाख रुपये की राशि व्यय की जाती है।

5.3 मछलियों का प्रग्रहण

ठेकेदार मछली पकड़ने के लिए गैर-अधिसूचित जल स्त्रोतों को पट्टे पर लेते हैं। ठेक पर दी जाने वाली राशि का 25% अनुदान के रूप में दिया जाता है। अनुदान की अधिकतम राशि 50,000 रुपये है।

5.4 दुकान की स्थापना

मछली की बिक्री हेतु मछली बाजारों में दुकान स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। विभाग कुल लागत का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में देता है। मछली बाजार में दुकान की स्थापना के लिए यह राशि अधिक से अधिक 3,000/- रुपये प्रति माह दुकान है। विभाग दुकान किराए पर लेने

पर 50 प्रतिशत अनुदान देता है तथा फुटकर बाजार में मछली दुकानों की स्थापना के लिए अधिक से अधिक 1500 रुपये प्रति माह की राशि अनुदान के रूप में देता है।

5.5 किसानों को प्रशिक्षण

किसानों को मछली पालन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए किसानों को 100 रुपये प्रति दिन की दर से मानदेय दिया जाता है। यह प्रशिक्षण अधिक से अधिक 10 दिनों का होता है। इसके अतिरिक्त यात्रा भत्ता भी दिया जाता है जिसको अधिकतम सीमा 100 रुपये है। प्रत्येक प्रशिक्षण में अधिक से अधिक 20 किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है।

टिप्पणी : सभी वित्तीय सहायता बैंक अथवा कृषक स्वयं प्रबंध के माध्यम से धन के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। विभाग किसान को केवल अनुदान प्रदान करता है।

टिप्पणी : उपकरणों/मदों की संख्या पर दिया जाने वाला अनुदान वित्तीय वर्ष में संबंधित जिले को निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार दिया जाता है।

जिस किसान के खेत में मछली पालन के लिए तालाब का निर्माण हो गया है, उसको नलकूप कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिया जाना तथा बिजली की दर कृषि प्रयोजनाओं के समान प्रदान करने को राज्य सरकार ने सिद्धांत रूप से स्वीकार कर लिया है।

सम्पर्क सूत्र : सम्बद्ध जिले का जिला मात्स्यिकी अधिकारी

5. हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं

1. बीज ग्राम योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक किसान के आधे एकड़ के लिए अनुदान के आधार/प्रमाणित बीज दिया जाता है। इसके इलावा किसान अपना गुणवत्ता वाला बीज तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने का प्रावधान है। ताकि किसान अपने घर का रखा हुआ बीज न बोकर अपने द्वारा गुणवत्ता वाले तैयार किये हुए बीज का उपयोग कर सके।

2. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राज्य के किसानों को सब्जियों के संकर/उन्नत किस्मों के बीजों पर 50% अनुदान दिया जाता है।

3. भंडारण कोठियों की आपूर्ति

अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 33% की दर से जो अधिकतम 3000 रुपये है तथा अन्य किसानों को 25% की दर से जो अधिक से अधिक 2000 रुपये है, की सहायता 20 क्विंटल की क्षमता वाली बीज भंडारण कोठियों की खरीद के लिए दी जाती है।

4. बीज ग्राम योजना में भंडारण की आपूर्ति

10 क्विंटल की क्षमता वाले बीज भंडारण कोठियों की खरीद के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों को 33% की दर से जो अधिक से अधिक 1500 रुपये है तथा अन्य किसानों को 25% की दर से जो अधिक से अधिक 1000 रुपये है, वित्तीय सहायता प्रदान की जाती हैं।

स्त्रोत : राष्ट्रीय बीज निगम/राज्य बीज निगम/भारतीय राज्य फार्म निगम/बीज सहकारिताएं/राज्य कृषि विभाग/राज्य कृषि विश्वविद्यालय/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा।

6. हरियाणा डेयरी विकास को – ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड की योजनाएं

1. दुग्धोत्पादकों के लाभार्थ योजनाएं

1.1 दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत वह समिति सदस्य जिसने दूध की अधिकता व कमी, दोनों प्रकार के मौसमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरंतर दूध की आपूर्ति की हो, का दुर्घटना मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये का बीमा किया जाता है जिसके लिए उसे मात्र 10 रुपये अदा करने होते हैं। बीमे की शेष राशि दुग्ध यूनियन/फैडरेशन द्वारा अदा की जाती है।

2 मुख्य मंत्री उत्पादन प्रोत्साहन योजना

दुग्ध उत्पादको के लाभायें योजनाएं

2.1 दुर्घटना मृत्यु बीमा योजना

इस योजना के अंतर्गत वह समिति सदस्य जिसने दूध की अधिकता व कमी, दोनों प्रकार के मौसमों में पिछले तीन वर्षों के दौरान निरंतर दूध की आपूर्ति की हो, का दुर्घटना मृत्यु के लिए 1 लाख रुपये का बीमा किया जाता है। जिसके लिए उसे मात्र 10 रुपये अदा करनी होती हैं। बीमें की शेष राशि दुग्ध यूनियन/फेडरेशन द्वारा अदा की जाती है।

2.2 मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना

मुख्य मंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिला सहकारी दुग्ध संधों को दूध की आपूर्ति करने वाले हरियाणा के दुग्ध उत्पादकों के लिये गर्मियों के मौसम में दूध पर 4 रुपये प्रति लीटर का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इस योजना के तहत 27 जून 2013 से 30 सितंबर 2013 तक की अवधि के दौरान हरियाणा राज्य के दुग्ध उत्पादकों को 10.16 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का भुगतान किया गया है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2014 - 15 के दौरान भी अप्रैल से सितंबर तक इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया है।

7. हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड की योजनाएं

1 वृक्ष खरीद योजना

किसानों को उनके खड़े वृक्षों पर न्यूनतम बिक्री दिलाने के लिए और अधिक वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड के इस प्रयास से किसान हताशा में बिक्री की प्रवृत्ति से बच जाते हैं और किसान समुदाय का कल्याण सुनिश्चित होता है। दिनांक 1.1.2014 को हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड स्वीकृत प्रजाति वार दरें इस प्रकार है :-

1.1 सफेदा का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (लपेट) (सें.मी.)	क्षेत्र-मूल्य (रु./वृक्ष)	क्षेत्र मूल्य (रु./वृक्ष)
20 – 29	58	43
30 – 39	133	102
40 – 49	216	202
50 – 59	392	372
60 – 69	744	937
70 – 79	987	840
80 – 89	1472	1263
90 – 99	1950	1660
100 – 109	2643	2360
110 – 119	3300	2998
120 – 129	3863	3434
130 – 139	5008	4150
140 – 149	6185	5325
150 – 159	7061	6101
160 – 169	8000	6875
170 – 179	9039	7754
180 – 189	10067	8660

190 – 199	11201	9600
200 – 209	12390	10648
210 – 219	13427	11631
220 – 229	14461	12197
230 – 239	15974	12775
240 – 249	16507	13347
250 – 259	17542	13941
260 – 269	18576	14511
270 – 279	19612	15105
280 – 289	20667	18672
290 – 299	21680	16267
300 – से अधिक	22711	16839

1.2 पॉपलर का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	मूल्य (रु./वृक्ष)
30 – 39	164
40 – 49	247
50 – 59	298
60 – 69	708
70 – 79	1272
80 – 89	1790
90 – 99	2734
100 – 109	3123
110 – 119	3516
120 – 129	4692
130 से अधिक	6038

1.3 खैर का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	मूल्य (रु./वृक्ष)
30 – 39	104
40 – 49	273
50 – 59	1128
60 – 69	1887
70 – 79	2735
80 – 89	3763
90 – 99	5375
100 – से अधिक	7165

1.4 वृक्षों की अन्य प्रजातियों का खरीद मूल्य

मोटाई वर्ग (सें.मी.)	शीशम मूल्य (रु./वृक्ष)	कीकर और आम मूल्य (रु/वृक्ष)	विविध मूल्य (रु./वृक्ष)
30 – 59	123	125	66
60 – 89	298	267	165
90 – 119	3132	1495	759
120 – 149	6263	2801	1555
150 – 179	13050	5040	2696
180 – 209	18269	7282	3802
210 से अधिक	27664	9150	4839

टिप्पणी : जोन 1 अम्बाला, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, पानीपत और यमुनानगर जिले

जोन 2 : हरियाणा के शेष जिले

वृक्ष क्रय योजना

निगम द्वारा समय – समय पर वृक्षों की बाजार दरों का अध्ययन किया जाता है व तदनुसार वृक्षों की खरीद दरें निर्धारित की जाती हैं। समय – समय पद इन

खरीद दरों की समीक्षा स्थाई समिति द्वारा की जाती हैं। 1-1-2014 से वृक्षों की खरीद दरें प्रजातिवार व लपेट अनुसार संलग्न तालिका में दर्शाई गई है।

वृक्ष बेचने का तरीका

1. वृक्ष विक्रय करने वाले किसान, पंचायत तथा अन्य संस्थान निकटतम हरियाणा वन विकास निगम के कार्यालय में अपने वृक्षों के मूल्यांकन हेतु सादे कागज पर आवेदन कर सकते हैं।
2. वन विकास निगम का कर्मचारी विक्री वाले वृक्षों की गिनती करेगा तथा वृक्षों की लपेट मापेगा। तत्पश्चात लपेट के अनुसार निर्धारित दर पर वृक्षों का मूल्य मालिक को सूचित किया जाएगा। वृक्षों की लपेट का माप भूमि तल से छाती की ऊंचाई 1.37 मीटर पर किसान या उसके प्रतिनिधी की उपस्थिति में किया जाएगा।
3. वृक्ष उत्पादक द्वारा वृक्षों के मूल्य से सहमत होने पर एक सहमति पत्र भरा जाएगा। इस सहमति पत्र पर वृक्ष विक्रेता व हरियाणा वन विकास निगम के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।
4. इसके उपरान्त निगम द्वारा वृक्षों की कटाई का कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। सभी वृक्षों की कटाई पूर्ण होने के उपरांत वृक्षों के शेष मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। कटे माल का रिकार्ड रखा जाएगा, जिसकी एक प्रति विक्रेता को दी जाएगी।

किसान भाईयों से अपील

हरियाणा वन विकास निगम किसान भाईयों से अपील करता है कि धरती माँ को हरा भरा बनाने के लिए अधिक वृक्ष लगाएं और हरियाणा वन विकास निगम को बिक्री योग्य वृक्ष बेच कर :

- वृक्षों का उचित मूल्य प्राप्त करें।
- वृक्षों की कीमत का सही भुगतान घर पर ही प्राप्त करें।
- अपनी आर्थिक स्थिति सुधारें।

- अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर धरती माँ को हरी-ओढ़नी प्रदान करने में भागीदार बनें।

हरियाणा वन विकास निगम द्वारा फर्नीचर इत्यादि का उत्पादन

हरियाणा वन विकास निगम ने वर्ष 2007-08 से पिपली में उत्तम किस्म के फर्नीचर बनाने का कार्य आरंभ किया है। निगम, फर्नीचर तथा अन्य लकड़ी उत्पादन के लिए सरकार का अधिकृत स्त्रोत है। फर्नीचर आदि खरीद के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक कुरूक्षेत्र से संपर्क किया जा सकता है।

सम्पर्क सूत्र : संबंधित जिले का जिला वन अधिकारी

8.हरियाणा राज्य भंडारागार निगम की योजनाएं

1 भंडारण प्रभार

भंडारागार की सेवाएं किसानों को बहुत कम प्रभार पर उपलब्ध कराई जाती है। जिसमें रबी उत्पाद पर भंडारण प्रभार में 30% की और खरीफ उत्पाद पर 50% की छूट असली किसानों को दी जाती है। इसके लिए 'भंडारागार रसीद' जारी की जाती है। जिसकी सीमा 50MT स्टॉक तक है।

2. विसंक्रमण विस्तार सेवा योजना

भंडारागार विसंक्रमण विस्तार सेवा योजना के अंतर्गत एक योजना चला रहा है जिसके अंतर्गत निगम द्वारा किसानों तथा अन्य लाभकर्ताओं को उनके अपने भंडारण स्थान पर स्टॉकों को विसंक्रमित करने के लिए सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं का विवरण इस प्रकार है :

क्र.	उपचार	दर
1.	वास्तविक किसानों के लिए बोरे के आधार पर एल्यूमीनियम फास्टफाइड से स्टॉक का धूम्रीकरण	70 पैसे प्रति मानक बोरा
2.	अन्य ग्राहकों के लिए बोरे के आधार पर एल्यूमीनियम फास्टफाइड से स्टॉक का धूम्रीकरण	1 रुपये प्रति मानक बोरा
3.	आयतन के आधार पर एल्यूमीनियम फास्फाइड से स्टॉक का धूम्रीकरण	350 रुपये प्रति 100 धन मीटर
4.	मैलाथियान द्वारा छिड़काव के द्वारा फर्श का उपचार (कम से कम 500 वर्ग मीटर के लिए प्रभार लिया जाएगा)	20 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर
5.	डेल्टामेथ्रिन द्वारा छिड़काव के द्वारा फर्श का उपचार (कम से कम 500 वर्ग मीटर के लिए प्रभार लिया जाएगा)	135 रुपये प्रति 100 वर्ग मीटर

3. किसान विस्तार सेवा योजना

इस योजना के अंतर्गत भंडारागारों का स्टाफ पड़ोस के किसानों के पास जाता है और उन्हें वैज्ञानिक भंडारण के लाभों के बारे में अवगत कराता है तथा साथ ही विसंक्रमण की नवीनतम तकनीकों और स्टॉफ के परिक्षण की विधियों का प्रदर्शन भी करता है। यह सेवा नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाती है। भंडारागार का स्टाफ इस योजना के अंतर्गत निर्धारित गांवों का समय-समय पर यह सेवा उपलब्ध कराने के लिए दौरा करता है।

सम्पर्क सूत्र : सम्बद्ध जिले का हरियाणा राज्य भंडारागारा निगम का प्रबंधक

९.कृषि विपणन बोर्ड की योजनाएं

1. कृषि ज्ञान वृद्धि योजना

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के कृषक उपहार योजना के केन्द्र को बन्द करके इस के स्थान पर कृषि ज्ञान वृद्धि योजना को शुरू किया है। इस योजना के अनुसार हरियाणा की मण्डियों में कृषि उपज बेचने वाले किसानों का पंजीकरण कर उन्हें कूपन दिये जाते है और इसके उपरान्त इन कूपनों के आधार पर लाटरी द्वारा किसानों का चयन कर उन्हें देश के विभिन्न प्रदेशों व अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर देशों में कृषि उपज एवं इसके विपणन सम्बन्धी जानकारी के लिये प्रशिक्षण यात्राओं पर भेजा जाना है।

2. कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना होने पर किसानों की क्षतिपूर्ति

राज्य में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने वाले किसान को विपणन समिति द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति की जाती है। जो दी गई तालिका में इस प्रकार है।

क्रम सं.	दुर्घटना की प्रकृति	विशेष सहायता के अर्न्तगत स्वीकृति राशि
1.	मृत्यु के दौरान	5,00,000.00
2.	पीठ की हड्डी का टूटना, अगर यह स्थाई विकलांगता है	2,50,000.00
3.	दो अंग/स्थाई गम्भीर चोट के विच्छेदन पर	1,87,550.00
4.	एक अंग/स्थाई गम्भीर चोट विच्छेदन पर	1,25,000.00
5.	चार उंगलियों के विच्छेदन पर एक अंग के नुकसान के रूप में	1,25,000.00
6.	पूर्ण उंगली के विच्छेदन पर	75,000.00
7.	उंगली की आंशिक विच्छेदन	37,500.00

सम्पर्क सूत्र : सचिव, विपणन समिति

10. नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरियाणा की योजनाएं

नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण हरियाणा विभागीय गतिविधियाँ एंव उपलब्धियाँ

वर्ष 1974 में केन्द्र संचालित स्कीम के अन्तर्गत नहरी क्षेत्र विकास प्राधिकरण हरियाणा की स्थापना भारत सरकार एवं राज्य सरकार की वित्तीय सहायता (50:50) से इस उद्देश्य से की गई कि चुनी हुई सिंचाई परियोजनाओं, जिसमें सुधार/उपजाऊ बनाने की आवश्यकता है, में उत्पन्न की गई सिंचाई क्षमता का अधिकतम उपयोग किया जा सके। नहरी क्षेत्र विकास का कार्यक्रम का अब नया नाम बदल कर नहरी क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्धन कर दिया गया है।

किसानों के लिए काडा की मुख्य गतिविधियाँ

वर्तमान सिंचाई क्षमता की अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करने के लिए काडा हरियाणा की मुख्य गतिविधियाँ निम्न प्रकार से है।

1. पक्के खालों का निर्माण करना

काडा का मुख्य कार्य नहरी क्षेत्र में पक्के खालों का निर्माण करना है। निर्माण के लागत मापदण्ड प्रति मीटर 835 रुपये और अधिकम 25050 रुपये प्रति हैक्टर के लिए अनुमोदित है। उपरोक्त मद पर दी जाने वाली वित्तिय सहायता का पेर्टन इस प्रकार है।

(क) केन्द्र सरकार का हिस्सा 417.50 प्रति मीटर या 12525 प्रति हैक्टर है

(ख) राज्य सरकार द्वारा लागत का बाकी हिस्सा वहन किया जाता है।

उपरोक्त नई गाईडलाईनस के अनुसार इसी स्कीम के तहत सीसी का 10 प्रतिशत हिस्सा सुक्ष्म सिचाई कार्यक्रम के तहत कवर किया जाना है।

2. सेमग्रत भूमि का जैव - जल निकासी प्रणाली द्वारा सुधार करना

काडा द्वारा नहरी क्षेत्र में सेमग्रस्त भूमि का जैव - जल निकासी प्रणाली द्वारा सुधार किया जाता है। यह गतिविधि काडा द्वारा वन विभाग से संयोजन से चलाई जाती है तथा इसकी निर्माण लागत मापदण्ड रुपये 20,000 प्रति

हैक्टयर है जो कि भारत सरकार व राज्य सरकार के बीच 50:50 की हिस्सेदार है।

3. जल उपभोक्ता संघों को वित्तिय सहायता प्रदान करना

पक्के खालों के निर्माण के उपरान्त उन्हें सम्बन्धित जल उपभोक्ता संघों को सौंप दिया जाता है तथा भविष्य में उसके रख-रखाव के लिए जल उपभोक्ता संघों द्वारा जमा करवाई गई राशि का 9 गुणा राशि (1080 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सहायता राशि) काडा द्वारा दी जाती है तथा कुल राशि जल उपभोक्ता संघों के नाम बैंक में सावधि जमा योजना में जमा करवाई जाती है।

4. प्रदर्शनी प्लाट

काडा द्वारा कृषि, बागवानी विभाग व सी सी एस एच ए यू, हिसार के संयोजक से अपने काडा कमाण्ड में किसानों के खेतों में उपयुक्त फसलों पर प्रदर्शनी प्लाट लगाता है जिसका प्रति एकड़ खर्च उपरोक्त विभागों द्वारा तय किया जाता है तथा काडा द्वारा उस राशि को वहन किया जाता है।

5. किसानों को प्रशिक्षण

काडा द्वारा सिंचाई प्रबन्ध में कृषकों की भागीदारी, जल संरक्षण, जल प्रबन्धन, उन्नत खेती की तकनीक आदि विषयों पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। काडा द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम आमतौर पर गांव व जिला स्तर पर हरियाणा सिंचाई, अनुसंधान एवं प्रबन्धन संस्थान (HIRMI) कुरूक्षेत्र के संयोजन से आयोजित किए जाते हैं।

सम्पर्क सूत्र : कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण, हरियाणा के क्षेत्रिय कार्यालय जो कि नहर कालोनियों में स्थित है।

11. हरियाणा राज्य सरकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड (हैफेड) की योजनाएं

अनुबंध कृषि के अंतर्गत किसानों को मिलने पर लाभ

- सुनिश्चित सर्व श्रेष्ठ मूल्य।
- अनुबंधित किसानों को नि:शुल्क फील्ड परामर्श सेवाएँ।
- मोबाइल टेलीफोनी जैसी नवीनतम प्रोद्योगिकियों का उपयोग करके ज्ञान सशक्तिकरण एवं कुशलता निर्माण। इस योजना के अंतर्गत बासमती धान की अनुबंध खेती के तहत खरीफ वर्ष 2012 एवं 2013 के दौरान बासमती धान के अनुबंधित किसानों को लाभान्वित किया गया।
- अनुबंध खेती के अंतर्गत किसानों को अच्छी किस्म के प्रमाणित बीज सरकार द्वारा निर्धारित किये गये अनुदान सहित मूल्य पर उपलब्ध करवाये जाते हैं।

जैविक खेती के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले लाभ

- जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए आवश्यकता आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली के समस्त क्रियाकलापों हेतू नि:शुल्क पंजीकरण एवं नि:शुल्क फील्ड परामर्श सेवाएँ।
- जैविक खेती के अंतर्गत समय-समय पर जैविक अनुदान नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं।
- नि:शुल्क जैविक प्रमाणीकरण।
- जैविक उत्पाद बेचने में सहायता।

जनवरी 2013 में 450 एकड़ भूमि 100 प्रतिशत जैविक प्रमाणीकृत हो चुकी है तथा हैफेड जैविक किसानों को जैविक उत्पाद खरीदार कम्पनियों से जोड़ने हेतु प्रयासरत है।

जैविक खेती योजनायें निम्नलिखित जिलों में विभिन्न फसलों के लिए चलायी जा रही हैं।

जिला	फसलें	कार्यान्वयन एजेंसी	क्षेत्र (एकड़)	जैविक स्तर
करनाल कुरुक्षेत्र	बासमती धान	धरणी सुफलम	454.4	जैविक भूमि सुधार द्वितीय वर्ष (आई सी-2)
सिरसा	दलहन एवं सब्जियां	धरणी सुफलम	1000	जैविक भूमि सुधार द्वितीय वर्ष (आई सी-2)
झज्झर, मेवात	देसी गेहूं	ए फ सी एल कृषि वित्त निगम लिमिटेड	750	जैविक भूमि सुधार वर्ष (आई सी-1)

जैविक

रवी 12-13 में 450 ऐकड़ भूमि 100 प्रतिशत जैविक प्रमाणीकृत हो चुकी है। तथा अन्य 750 ऐकड़ भूमि वर्ष 2014-15 में 100 प्रतिशत जैविक प्रमाणीकृत हो जायेगी

सम्पर्क सूत्र : प्रबंधक, हैफेड

12.अक्षय ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत योजनाएं

अक्षय ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत योजनाएं

सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम (घरेलू श्रेणी के लिए अनुदान)

राज्य वित्तीय सहायता

3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर FPC के लिये और 1000 रुपये प्रति वर्ग मीटर ETC के लिये जो कि 6 वर्ग मीटर या 300 LPD तक ही सीमित है।

भारतीय सरकार वित्तिय सहायता

3330 रुपये प्रति वर्ग मीटर FPC के लिये और 3000 रुपये प्रति वर्ग मीटर ETC तक ही सीमित है।

- 100 से 300 रुपये प्रति महीने के अनुदान क्षमता के आधार पर 36 महीने तक के लिये बिजली के बिल पर दिया जायेगा। (प्रांतीय सरकार द्वारा)

अक्षय ऊर्जा के यंत्रों पर अनुदान		
क्र.सं.	यंत्रों के नाम	अनुदान
1.	सोलर कूकर डिश	लगभग 60 प्रतिशत का अनुदान
2.	सौर होम एलईडी लाइट	लगभग 50 प्रतिशत का अनुदान
3.	होम लाईट सिस्टम मॉडल - 3	लगभग 40 प्रतिशत का अनुदान
4.	सोलर स्ट्रीट लाईट	4,000.00 प्रति सिस्टम
5.	बाक्स टाईप सोलर कुकर	लगभग 70 प्रतिशत का अनुदान
6.	सोलर वाटर पम्प (2HP & 5HP)	90 प्रतिशत अनुदान (अनुसूचित जातियों के लिये)

क्र सं	एसपीवी सिस्टम		क्षमता	कीमत (रु /Wp)
1	सौर प्रकाश प्रणाली	CFL	Up to 300Wp	270Wp
	होमलाईट	LED	Up to 300Wp	270
2	लालटैन, पावर पैक्स (बहु उपयोग)			
3	सौरजल पम्पिग प्रणाली		Up to 5kWp	190
4	एसपीवी बिजली संयंत्र बैटरी के साथ		>300 Wp to 1kWp	240
			>1kWp to 10kwp	220
			>10kWp to 100kWp	200
5	एसपीवी बिजली संयंत्र बिना बैटरी के साथ		Up to 100kWp	160
			>100kWp to 500kWp	130
6	माईक्रो ग्रीड (डीसी)		Up to 10kWp	500
7	मिनी ग्रीड		>10 to 250kWp	-
8	एसपीवी बिजली संयंत्र के द्वारा गली की लाईट		Up to 100kWp	270

मुख्यालय चंडीगढ़ के प्रमुख दूरभाष संख्या

कृषि विभाग, हरियाणा – मुख्यालय

कृषि भवन, सैक्टर 21, पंचकूला

(महानिदेशक)	0172 – 2570662
(अतिरिक्त निदेशक)	0172 – 2587570

बागवानी विभाग, हरियाणा – जिला मुख्यालय

सेरीकल्चर काम्पलैक्स, सैक्टर 21, पंचकूला

(महानिदेशक)	0172 – 2582322
(संयुक्त निदेशक)	0172 – 2587570

पशु विभाग, हरियाणा – मुख्यालय

पशु भवन, बैज 9 – 12, सैक्टर 2, पंचकूला

(महानिदेशक)	0172 – 2570662
(अतिरिक्त निदेशक)	0172 – 2570662

वन विभाग हरियाणा

बेज़ नं. 27 – 28, सैक्टर 4, पंचकूला 134112

प्रबन्ध निदेशक	0172 – 2564463
हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2575730

कृषि विज्ञान केन्द्रों का मुख्यालय

गांधी भवन, चौ. चरण सिंह हरियाण कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

(निदेशक विस्तार शिक्षा)	1662 – 284320
(संयुक्त निदेशक)	01662 – 28 – 9303

लाला लाजपतराय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार

उपकुलपति	91 – 1662 – 256100
रजिष्ट्रार	91 – 1662 – 256065
अनुसंधान निदेशक	91 – 1662 – 256108
निदेंशक विस्तार शिक्षा	91 – 1662 – 256070

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन फेडरेशन लिमिटेड, पंचकुला

प्रबन्ध निदेशक	91 – 172 – 2590518 2590709
मुख्य महाप्रबन्धक	91 – 172 – 2590536

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, सी – 6, सैक्टर 6, पंचकुला

मुख्य प्रशासक	91 – 172 – 2560883 2560193
सचिव	91 – 172 – 2560450

हरियाणा राज्य शुगर मिल लिमिटड, वैज 49 – 52, सैक्टर 2, पंचकुला

प्रबन्ध निदेशक	91 – 172 – 2590821 2590822

वन विभाग हरियाणा

महा प्रबंधक
हरियाणा वन विकास निगम
फोरेस्ट कम्पलेक्स, कम्पनी बाग,
अम्बाला सिटी, हरियाणा 0171 – 2551567

महा प्रबंधक
हरियाणा वन विकास निगम
वन परिसर, मिल गेट, हिसार, हरियाणा 01662 – 259278

महा प्रबंधक
हरियाणा वन विकास निगम
निकट ब्रह्म सरोवर, किरमच रोड़, कुरुक्षेत्र, हरियाणा 01744 – 293364

महा प्रबंधक
हरियाणा वन विकास निगम
कोठी नं. 2177, अर्बन स्टेट, जींद, हरियाणा 01681 – 248498

महा प्रबंधक
हरियाणा वन विकास निगम
कोठी सं. 1098, वार्ड सं. 2, प्रेम नगर,
जेल रोड़, रोहतक, हरियाणा 01262 – 253584

महा प्रबंधक
हरियाणा वन विकास निगम
निकट न्यू कोर्ट, सोहना रोड, गुड़गांव, हरियाणा 0124 – 2305384

कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण

अधीक्षक अभियन्ताओं के दूरभाष नम्बर इस प्रकार हैं।

1. काड सर्कल, रोहतक 01262 – 256006
2. काड सर्कल, हिसार 01662 – 227369
3. काड सर्कल, कैथल 01746 – 222028

कृषि विभाग, हरियाणा - जिला मुख्यालय

उप-निदेशक (कृषि) लघु सचिवालय, सैक्टर-12, छटा तल, फरीदाबाद	0129-2288024
उप-निदेशक (कृषि) सिरसा फार्म कालोनी, सदर थाना के पीछे, सिरसा	01666-2220371
उप-निदेशक (कृषि) मालवीय नगर, मालवाह रोड़, नजदीक सैक्टर-23, सोनीपत	0130-222413
उप-निदेशक (कृषि) नजदीक अनाज मण्डी, पानीपत	0180-2664398
उप-निदेशक (कृषि) नजदीक डी.सी. निवास, यमुनानगर	01732-237816
उन निदेशक (कृषि) रिवाड़ी रोड़, नजदीक गैस्ट हाऊस वन विभाग, नारनौल	01282-251955
उप निदेशक (कृषि) सैक्टर-7, नजदीक ज्ञानदीप स्कूल, कुरूक्षेत्र	01744-220504
उप निदेशक (कृषि) लघु सचिवालय, प्रथम तल, भिवानी	01664-242311
उप निदेशक (कृषि) अनाज मण्डी, पलवल	1275-2488920
उप निदेशक (कृषि) नया लघु सचिवालय कॉम्पलैक्स के सामने, गुड़गांव	0124-2322441
उप निदेशक (कृषि) लघु सचिवालय, तृतीय मंजिल, फतेहाबाद	01667-231122

उप-निदेशक (कृषि) मॉडल टाऊन, रेवाड़ी	01274 - 222322
उप-निदेशक (कृषि) नजदीक हिन्दू हाई स्कूल, मेवात	01267 - 274702
उप-निदेशक (कृषि) नजदीक लघु सचिवालय, अम्बाला शहर	0171 - 2530517
उप-निदेशक (कृषि) लघु सचिवालय, तृतीय तल, कैथल	01746 - 235756
उप-निदेशक (कृषि) नजदीक जाट कॉलेज, रोहतक	01262 - 274431
उप-निदेशक (कृषि) लघु सचिवालय, झज्जर	01251 - 254330
उप-निदेशक (कृषि) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सामने, जींद	01681 - 251730
उप-निदेशक (कृषि) सैक्टर - 21, कांडी भवन, पंचकूला	0172 - 2563121
उप-निदेशक (कृषि) कुरूक्षेत्र रोड़, करनाल	0184 - 2272623
उप-निदेशक (कृषि) लघु सचिवालय, तृतीय तल, राजगढ़ रोड़, हिसार	01662 - 225713

बागवानी विभाग, हरियाणा – जिला मुख्यालय

जिला बागवानी अधिकारी राजकीय भेड़ फार्म भवन, अम्बाला	0171 – 2530277
जिला बागवानी अधिकारी मार्फत बागवानी प्रशिक्षण केन्द्र, उचानी, करनाल	0184 – 2265417
जिला बागवानी अधिकारी नजदीक डाकघर, चावला कालोनी, सोनीपत	0130 – 2221814
जिला बागवानी अधिकारी नई सब्जी मण्डी, दोबा, फरीदाबाद	0129 – 2480065
जिला बागवानी अधिकारी लघु सचिवालय के सामने, गुड़गांव	0124 – 2324067
जिला बागवानी अधिकारी अनाज मण्डी, पानीपत	0180 – 2660808
जिला बागवानी अधिकारी किसान सूचना केन्द्र, नई अनाज मण्डी, भिवानी	01664 – 244897
जिला बागवानी अधिकारी नई अनाज मण्डी, सिरसा रोड़, हिसार	01662 – 278350
जिला बागवानी अधिकारी अमरगढ़ गामड़ी, गली नं. 6, कैथल	01746 – 229103
जिला बागवानी अधिकारी नजदीक डाक घर, नजदीक रविदास मन्दिर, रेवाड़ी	01274 – 251492
जिला बागवानी अधिकारी उद्यान भवन, नजदीक अनाज मण्डी, जगाधरी, यमुनानगर	01732 – 237817

जिला बागवानी अधिकारी मार्फत पुराना लघु सचिवालय, झज्जर	01251 – 256101
जिला बागवानी अधिकारी मार्फत कृषि फार्म, सिरसा	01666 – 231285
जिला बागवानी अधिकारी मार्फत श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, नजदीक कृषि उप निदेशक कार्यालय, नूंह, मेवात	1267 – 274673
जिला बागवानी अधिकारी नई सब्जी मण्डी, हिसार रोड़, फतेहाबाद	01667 – 230823
जिला बागवानी अधिकारी राजकीय बागवानी नर्सरी, रतगल फार्म, नजदीक कृषि उपनिदेशक कार्यालय, कुरूक्षेत्र	01744 – 222957
जिला बागवानी अधिकारी राजकीय बागवानी नर्सरी, पंजकूला	0172 – 2576088
जिला बागवानी अधिकारी नजदीक परिवहन कार्यशाला, जींद	01681 – 247376
जिला बागवानी अधिकारी गांव नसीबपुर, डाकखाना खरखौटा, नारनौल	01282 – 260235
जिला बागवानी अधिकारी नम्बरदार की कोठी, अहलावपुर चौक, पलवल	01275 – 248997
जिला बागवानी अधिकारी नई अनाज मण्डी, रोहतक	01262 – 265205

पशुपालन विभाग, हरियाणा – जिला मुख्यालय

उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लघु सचिवालय, अम्बाला शहर	0171-2530613
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लघु, सचिवालय, भिवानी	01664-242593
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भोड़िया खेड़ा, फतेहाबाद	01662-231122
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सोहना रोड़, गुड़गांव	0124-2202115
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, लघु सचिवालय, चतुर्थ तल, हिसार	01662-225819
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, दादरी रोड़, झज्जर	01251-257067
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सफीदी रोड़, जींद	01681-245229
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक पंचायत भवन, कैथल	01746-225075
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक उचानी, करनाल	0184-2267644
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक बस स्टैण्ड, कुरूक्षेत्र	01744-220126
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक पुलिस लाईन, नुहू, मेवात	01267-274277

उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नारनौल	01282 - 250221
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सैक्टर-2, पालतु पशु, चिकित्सालय, पंचकूला	0172 - 2572916
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक महिला महाविद्यालय, पानीपत	0180 - 2638524
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पलवल	01275 - 245632
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भेड़ावास चौक, रिवाड़ी	01274 - 225936
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक सुखपुरा चौक, रोहतक	01262 - 276439
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सिरसा	01666 - 293007
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक उपायुक्त निवास, सोनीपत	0130 - 2220170
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, नजदीक बाईपास, यमुनानगर	01732 - 237818
उप-निदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सैक्टर-5, फरीदाबाद	0129 - 2480065

मछली पालन विभाग, हरियाणा - जिला मुख्यालय

जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय के सामने, गुड़गांव	0124 - 2320982
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक रेलवे स्टेशन, रेवाड़ी	01274 - 221010
जिला मत्स्य अधिकारी नुहू, मेवात	0124 - 274715
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक शिला बाईपास चौक, रोहतक	01262 - 263396
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक रेलवे स्टेशन, सोनीपत	0130 - 2246672
जिला मत्स्य अधिकारी लघु, सचिवालय, करनाल	0184 - 2266922
जिला मत्स्य अधिकारी मछली मार्केट, यमुनानगर	01732 - 250062
जिला मत्स्य अधिकारी करनाल रोड़, कैथल	01746 - 223482
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, जींद	01681 - 247222
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, चतुर्थ तल, सिरसा	01666 - 248802
जिला मत्स्य अधिकारी बड़खल झील, फरीदाबाद	0129 - 2418598
जिला मत्स्य अधिकारी, नारनौंल	01282 - 252977

जिला मत्स्य अधिकारी, पलवल	
जिला मत्स्य अधिकारी झज्जर	01251 – 210360
जिला मत्स्य अधिकारी मछली, मार्केट, पानीपत	0180 – 2651349
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक ज्योतिसर, कुरूक्षेत्र	01744 – 206105
जिला मत्स्य अधिकारी अम्बाला	0171 – 2553560
जिला मत्स्य अधिकारी नजदीक सिरसा बाईपास, हिसार	01662 – 225187
जिला मत्स्य अधिकारी पुराना लघु सचिवालय, फतेहाबाद	01667 – 227256
जिला मत्स्य अधिकारी लघु सचिवालय, भिवानी	01664 – 243940
जिला मत्स्य अधिकारी महेश नगर, पंचकुला	0172 – 2584394

चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केन्द्रों की सूची

वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 32, अनाज मण्डी, फतेहाबाद	01667 – 226299
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक लघु सचिवालय, अम्बाला	0171 – 2530526
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि विज्ञान केन्द्र, सी.सी.एस.एच.ए.यू. क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, बावल, रेवाड़ी	01284 – 260517
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, भोपानी फार्म, फरीदाबाद	0129 – 25202332
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव व डाकघर पांडुपिंडारा, जींद	01681 – 245940
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 460/15, आदर्श नगर, तहसील मेन रोड़, झज्जर	
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक पेओदा रोड़, देवीगढ़ फार्म, कैथल	01746 – 223320
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 430, अर्बन एस्टेट, कुरूक्षेत्र	01744 – 220418
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, महेन्द्रगढ़	01285 – 220293
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, शिविर कार्यालय, पंचायत घर, गांव मंडकोला, मेवात	092533 – 11771

वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, विस्तार शिक्षा संस्थान, नीलोखेड़ी, करनाल	01745 – 246227
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि निदेशालय, कृषि भवन, सैक्टर – 21, पंचकूला	0172 – 2582412
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव सदलपुर, नजदीक मण्डी आदमपुर, हिसार	01669 – 244931
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, तहसील रोड़, सिरसा	01666 – 221352
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, नजदीक चुंगी, दिल्ली रोड़, रोहतक	01262 – 266362
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव व डाकघर ओझा, पानीपत	0180 – 2001625
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव जगदीशपुर, नरेला रोड़, सोनीपत	0130 – 2325274
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, गांव व डाकघर दामला, यमुनानगर	01732 – 209270
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, 9/1, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, गांव उचानी, करनाल	0184 – 2266864
वरिष्ठ समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, स्टेडियम के सामने, भिवानी	01664 – 242633

अध्यक्ष जिला किसान क्लब हरियाणा

नाम	जिला	मोबाईल
बलबीर सिंह गढ़वाल	फतेहाबाद	9466006370
कालीराम	जींद	9416137521
राजेन्द्र लाम्बा (कार्यवाहक)	हिसार	9416041505
कर्णदेव कम्बोज	यमुनानगर	9416267208
कुशलपाल सिरोही	कैथल	9812022221
हरिकेश सिंह	अम्बाला	9416022221
गुरुदयाल सिंह	कुरूक्षेत्र	9812080465
ईलम सिंह	करनाल	9416217849
सत्यनारायण	पानीपत	9416286855
हमीद	झज्जर	9416132027
रमेश डागर	सोनीपत	9968806664
हेम डागर	फरीदाबाद	9811423745
बिजेन्द्र सिंह दलाल	पलवल	9416103573
मानसिंह	गुड़गांव	9350582231
तैयब हुसैन	मेवात	9255737397
धर्मपाल	रेबाड़ी	9416778923
रामगोपाल शर्मा	पंचकूला	6466016041
सुरेन्द्र सिंह	सिरसा	9416045751
जयकरण (कार्यवाहक)	रोहतक	9813638298
सुरेश कुमार	भिवानी	9812119013
रतिराम	महेन्द्रगढ़	9416939729